# GOVT DIGVIJAY AUTONOMOUS PG COLLEGE RAJNANDGAON(CG)



**Report of Administrative setup, service rule and policy** 



(apunations)

Principal Govt. Digvijay Auto. PG College, Rajnandgaon, CG

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्मत डाक शुल्क के नगव भुगतान ( विना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. ज्रमांक जी.2-22-छलीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, विनांक 30-05-2001."



पंजीवन क्रमांक \*\*छल्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.\*\*

छत्तीसगढ़ राजपत्र

### (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, श्रक 1940

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छल्तीसगढ़ के राज्यपाल, एलव्ह्रारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

#### नियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे।
  - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ शासन;
  - (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
  - (ग ) "समिति" से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
  - (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
  - (ड) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ ज्ञासन;
  - (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ के राज्यपाल;
  - (छ) "अन्य पिछड़े बर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग;

	छल्तीसगढ राजपञ, दिनांक 16 जनवरी 2019
(ज)	"अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(झ)	"अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन
	इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
(স)	"अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
(ट)	"सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);
(ठ)	"राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
(ड)	दिव्यांगजन से अभिप्रेत है,
	(1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्नलिखित दशाओं में से किसी
	एक से ग्रस्त हो :

(एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;

- (दो) बेहतर आंख में परिषांधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, या
- (तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।
- (2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्यास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनो कानों में सुनने का पूरा ह्यास हो।
- (3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हड़डियों, मांस पेशियों या जोड़ो की सामान्य कियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।

"नेट" से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता (<del>ਫ</del>) परीक्षा;

- 32 (1)
- (ण) ''सेट/स्लेट'' से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/स्लेट परीक्षा।
- विस्तार तथा लागू होना. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात:-
  - वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय. अनूसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
  - (2) वे व्यक्ति. जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
  - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।
- 5. वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अख्यायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर संकेगा।

- 6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—
  - (क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
  - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा:
  - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

	Ph. 4		
छत्तीसगढ राजपत्र,	বিনাক 1	6 जनवरी	2019

- (ध) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।
- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- 7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते.— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

32 (2)

- (एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है. की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
  - (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:--
    - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये:
    - (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
    - (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किंया जाएगा, परन्तु

छल्तीसगढ राजपत्र, विनांक 16 जनवरी 2019

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–
  - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर:

32 (4)

छल्गीसगढ राजपत्र, दिशांक 16 जनवरी 2019

- (ख) नामांकन की शरौं पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
- (तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए

32 (5)

		P		
Address of the state of the sta	all all the	Total Lab	14 4 4 4 4 4 4	3016
छल्लासगढ	ાલબગ.	<b>स्वनाल</b> ः	10 4443	2012

छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (ज) सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/कीड़ाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय--समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। टीप-(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्यागपत्र

दे देते हैं, तो ये नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है: परन्तु –

(1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित ठहराता हो; और,

32 (6)

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीस:- (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।

9. निर्श्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु शामिल होने के लिये निर्रहित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वाख्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए। (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेओं में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय—समय पर अवधारित करे।

32 (8)

#### छत्तीसगढ राजपत्र, विनांक 16 जनवरी 2019

(2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिथे संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा। (3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपंबंध के अध्यधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा ।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय—समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

32 (9)

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

- 12. आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।
  - (2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

> स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

- (4) आयोग, उप-नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतिक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।
- (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है. वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशांसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

32 (12)	छल्लीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019
	(9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।
	(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।
	(11) उप—नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन
	युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।
13.	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन
	करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित
	सदस्य सम्मिलित होंगेः
	परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगव
	लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों वे
	लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।
2	(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।
	(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।
	(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन
	के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसा होगी।
	(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी कि जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेग
	कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिय

और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शतें.- (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अधवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति- संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं। (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी

- (पग) एस नामला में जहा प्रवाशित पर उत्र उप्रयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रयाप्त होगी।
  - (दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वस्थिता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

#### छत्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019

पदो के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय--समय पर जारी आदेश पदोन्नति हेतु लागू होंगे।
- 15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्युनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

32 (14)

छल्लीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

16. आयोग से परामर्श.— (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निग्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशसित अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवकमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

- (2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप-नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगीं।
- 17. आमेलन द्वारा भर्ती.— (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीडाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

32 (15)

			छत	त्तीलगढ	राजपत्र, दिनां	क 16 जनवरी 2	019				
करने	के	उपरांत,	की	गई	उनकी	अनुशंसा	पर	किया	जाएगा।	समिति	में
निम्न	लेखि	त सदस्य	খাদি	नेल ह	ॉगे :						

- (एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;
- (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

32 (16)

- (चार) सरकारी रनातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;
- (पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा/अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।
- (2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :--
- (एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य–भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयीन संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;
- (दो) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात्, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;
- (तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में साबित हुए अवचार और/या दाण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो;
- (चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो;

- (पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या ग्रंथपाल या कीडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम् अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हों, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए;
- (छ:) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई हैं।
- (3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;
  - (दो) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रुप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हैं, इस नियम में विहित अन्य शर्तो के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।
- (4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आमेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

- (5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।
- (6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का मुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ अवकाश नियम में विहित निर्बंधनों तथा अधिकतम् सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।
- (7) इस नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।
- (9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा कीडाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अस्वीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैंडर (डाइंग कैंडर) के रूप में बने रहेंगें, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में वरिष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ प्राप्त नही होंगे।
- 18. चयन सूची.— (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ—साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

32 (18)

- (2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिर्वतनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।
- (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची—चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.- (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

32 (19)

20. परिवीक्षा.— (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
(2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

- 21. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 22. शिथिलीकरण.- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकुल हो।

23. निरसन एवं व्यावृत्ति.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते है:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी। (2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

> छत्लीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार जावसवाल, सचिव.

छत्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019

अनुसूची—एक (नियम 4 एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000—67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य – स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	प्रथम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राघ्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथ्यम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सहप्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 9,000

32 (22)

32 (23)

=

उल्लीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019

7.	(क) सहायक प्राध्यापक	3855	हितीय श्रेणी	15,600—39,100 + .ए.जी.पी. 6,000
	(ख) सहायक प्राप्यापक (रू. 6000 से अधिक ए.		प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 +
	जी.पी.)			ए.जी.पी. 7,000
				15,600-39,100 +
				ए.जी.पी. 8,000
				37,400-67,000 +
- 1				ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय श्रेणी	15,600—39,100 + ए.जी.पी. 6,000
-	(ख) क्रीड़ा अधिकारी	72	प्रथम	15,600-39,100 +
	(रू. 6000 से अधिक		श्रेणी	ए.जी.पी. 7,000
	ए.जी.पी.)			15,600—39,100 + ए.जी.पी. 8,000
				37,40067,000 + ए.जी.पी.
2				9,000
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय श्रेणी	15,60039,100 + ए.जी.पी. 6,000
-	(ख) ग्रंथपाल	-	प्रथम	15,600—39,100 + ए.जी.पी. 7,000
	(रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)		श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000
				37,400—67,000 + ए.जी.पी.
				9,000

छलीसगढ राजपत्र, विनांक 16 जनवरी 2019

### अनुसूची—दो (नियम 6 देखिये)

स.क	सेवा /पद का नाग	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने व	ले पदों की संस	टिप्पणियां	
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	पदोन्नति हारा (नियम ६(१) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		छत्तीसगढ		(महाविद्यालयी	न शाखा राजपत्रित)	
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	1		100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय देतनगान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से
2.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च रिक्षा	58+8	_	100%	-	राज्य संपर्क अधिकारी, उपायि प्राचार्य के काढर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राचार्यं, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथ्या राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय संया योजना	187+6		100 %		25 % सीधी भर्ती प्राध्यापक 75 % पदोन्नत प्राध्यापक
4.	प्राच्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	592	100 %	_		
5.	पर्योग्नरा प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं		100 %		ये पद विभागीय पदोग्नति समिति के माच्यम से गरे जायेंगे। पदोग्नत प्राध्यापकों के ऐसे पदो की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सह– प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सह–प्राध्यापक की पद्मेन्नति जनुसूची चार में दर्णित उपवंधों के अचीन यिहित सेवा कालावधि पूरी करने के परचात तथा उसमें विहित अर्हताएं की शर्त पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

32 (24)

6.	सह⊶प्र <b>क्त्यापक</b>	संख्या निर्धारित नहीं		100 %	ये यद विमागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेगें। सह-प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अईता वाले सहायक प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अईताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जायेगी।
7.	संहायक प्राध्यापक	3855	100 %	-75	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	क्रीडा अधिकारी	116	100 %	-	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	ग्रंथपाल	125	98 %	2%	(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। (2) केवल डाइंग केंडर के सहायक ग्रंथपाल के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के परचात भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जायेंगे।

टीप:— अनुकमांक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित पदों की 7000, 8000 एवं 9000 एकेंडिमिक ग्रेड पे में स्थानन की प्रकिया, अनुसूची—चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

32 (25)

छल्तीसगढ राजपत्र, विनॉक 16 जनवरी 2019

### 32 (26)

अनुसू	ची	–तीन
		देखिये)

स.क.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अईता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	45 वर्ष	(@)
				(एक) प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी.एच.डी. में अर्हता अपनं संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय में प्राप्त हैं, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की हैं, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रंथ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुडी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो।
				(दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एव/ अथव विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्र को दिशानिर्देश करने का अनुमव भी सम्मिलित हो ।
				(तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्र तथा प्रौद्योगिको—माध्ययुक्त अच्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।
				(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार प शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं. जिस शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी
- 1	N			अध्यवा
				ब. (ख) उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय के झान में महत्वपूर योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायको द्वार किया जाए।
2.	सहः प्राध्यापक	29 वर्ष	43 वर्ष	(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में पी एच.डी. की उपाधि।
				(वो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्याप- का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो. एवं/ अथव विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योग में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोह छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनायें, पुस्तकों एवं/अथव शोध/विषय से जुडी नीति विषयक प्रमन्न के रूप में प्रकाशित हो।
				(तीन) शैक्षणिक नवोन्सेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्र तथा प्रौद्योगिकी—मध्ययुक्त अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया व विस्तार।

छलीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019

				(चार) न्यूनतम समेकित एषीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी ।				
3.	सहायक प्राध्यापक	21 सर्ष	30 वर्ष	<ul> <li>(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोतार उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक (अथवा/एवं 7 किन्दु योडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्रापा विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि ।</li> <li>(ख) उपरोक्त अर्डताओं की पूर्ति करने के बाद मी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा।</li> <li>(ग) उप-खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएव. डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम. 2009 के अनुसार पीएव.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो. को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में वर्त्युनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी ।</li> <li>(घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट /सेट की अविधार्यता नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।</li> </ul>				
4.	क्रीडा अधिकारी	21 বর্গ	30 वर्ष	(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में रनातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूब विज्ञान में रनातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल में श्रेणी ''बी'') तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।				
								(ख) अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर–महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो।
				(ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो इस उददेश्य से यू.जी. सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ह हो।				
				(घ) इन नियमों के अनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।				
				(ड.) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने केलिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में मर्ती तथा नियुवित के लिए नेट/रलेट/रोट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अगिवार्यता से छूट रहेगी।				

32 (27)

32	32 (28)		छत्तीसगढ	छल्तीसगढ़ राजपत्र, विनांक 16 जनवरी 2019						
				(थ) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मामदण्ड :- (एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसे सम अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरिधत होना अनिवार्थ होता है, के द्वारा ऐ परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी विकित्स प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिस् सत्यापित होगा कि वह विकित्सीय रूप से स्वरस्थ है (से) उपरोक्त उप-खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रम पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक रक्षमता परीक्षा दे होगा: - प्रकृषों के लिए मापदण्ड           प्रित सेत क क क्षेत्र तक क क को तक 1800 मीटर 1500 मीटर 1200 मीटर 900 मीटर           महिलाओं के लिए मापदण्ड 8 मिनट की दौड/ पाल की परीक्षा 30 को तक 40 की के लिए मापदण्ड 8 मिनट की दौड/ पाल की परीक्षा 30 को तक 40 को क कि तिए मापदण्ड 38 मिनट की दौड/ पाल की परीक्षा 30 को तक 40 को तक 45 की तक 50 की तक 1000 मीटर 900 मीटर 900 मीटर 400 मीटर				रीक्षा में रा ऐरे किल्लीय जिसमें श्व है। ने प्रमाण ण्डों वे		
					(ga)	- कीड़ा अधि ) लिखित पर्र लिये शारीजि उच्च शिक्षा या एजेन्सी शारीरिक दक्ष यो लिये अप	तेका एवं स रेक दक्षता विभाग द्वार हारा लिया तला परीक्षा	ज्लात्कार में परीक्षा, छन् रा अनुमोदिर जायेगा ।	। अर्ह अभ्य त्तीसगढ श त∕नामांकित	ासन व विभाग
5.		ग्रंथपाल	21 वर्ष	30 <sup>-</sup> वर्ष	(1)	अन्य भि अभ्यर्थिय पर 5 प्र या 50 स्वीकार्य	तम से कम उपाधि अभ वा जहां ग्रे मतुल्य ग्रेड अधिसूचित लय के कम लय के कम ता जातिय (शारीरिक एडडा वर्ग (शारीरिक एडडा वर्ग तो के लिये दीशत की ध प्रतिशत अं नहीं होगा	55 प्रतिष्ठ वा ऐसी स विंग पद्धति अधवा यू समतुल्य यूटरीकरण गै/अनुसूचि एवं दृष्टि (गैर-क्रीमी- स्नातक एव कूट की प्रव क को यूण	ात अंकों वे मतुल्य व्याव ते लागू है जीसी अथवा व्यवसायिक का झान एवं	े साथ पाइन्ट राज्य उपाधि अष्ठा सियॉ/ यांग)/ संबंधित र स्तर गी. 55 जाना रा दिये

उलीसगढ राजपत्र,	दिनांक	16	जनवरी	2019

32 (29)

<ul> <li>(2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/रूलेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।</li> <li>(3) तचापि, ऐसे अम्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो. को ग्रंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।</li> </ul>
टीप- सहायक प्राध्यापक/क्रीडाधिकारी/ग्रंथपाल के लिये : (1) ये अम्पर्थी, जो दिनांक 11 जुलाई. 2009 के पूर्व सहायक प्राध्यापक/क्रीडाधिकारी/ ग्रंथपाल पद के लिये एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाढयक्रमों के लिए पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों ढारा शासित होंगे। पीएघ.डी. उपाधि घारक अम्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होंगी :
<ul> <li>(क) अम्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रयान की गई हो;</li> <li>(ख) कम से कम दो बाहय परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मुल्यांकन किया गया हो;</li> <li>(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हो (जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो);</li> <li>(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोधियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हो;</li> <li>(७) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो ।</li> <li>उपयुंक्त (क) से (उ.) को कुलपति / प्रति–कुलपति / संकाय अध्यक्ष (रीक्षणिक काय) होरा प्रियाणित किया जाना वाहिए।</li> </ul>
<ul> <li>(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है: -         (एक) स्मातक (अन्डर ग्रेजुएट)- न्यूनतम 50%</li> <li>(3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:-</li> </ul>
श्रेणी         ?

छल्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019

(a) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जगजाति/ दिव्यांगजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछडा वर्ग (गेर-क्रीमी-लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों की शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी मर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे ष्टीक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5: की छूट प्रदान की जा संकेगी । पात्रता के लिए 55: अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5 की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित्त रहेगी ।
(दो) ऐसे पीएच.डी. जपाधि वारक, जिन्होने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5: की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55: से 50: तक होगी।
(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा येखिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55: के यथा समतुल्य मानी गई हो, पान्नता समझी जायेगी।

टिप्पणी :--

(1) सभी प्रकार की घुट को सम्मिलित करने के पश्चात् 'अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष' के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न क. एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बधन, प्राध्यापकों एव सह प्राध्यपकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

(2) अनुसूची—तीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्राध्यापक/उप संचालक एवं सह प्राध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उच्चतर आयू सीमा निम्नानुसार होगी :-

स.क.	प्रवर्ग	उच्चतर आयु सीमा		
	-	प्राप्यापक	राह प्राध्यापक	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	मुरूष (अनारक्षित)	45 वर्ष	43 वर्ष	
2.	पुरूष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यॉग)	50 वर्ष	48 वर्ष	
3.	महिला (अनारक्षित)	<b>55 वर्ष</b>	<b>53 दर्घ</b>	
4.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	58 वर्ष	
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्तित / अनारक्तित प्रवर्ग)	60 वर्ष	58 वर्ष	

(3) प्राध्यापको एवं सह प्राध्यापको के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात उच्चतर आयु सीमा क्रमश: 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

32 (30)

32 (31)

छल्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019

## अनुसूची–चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स.क.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	प्राचार्यं उपाचि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राचार्य, स्नातकोत्तार महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	रनातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पर्दान्नति, स्नातक महायिद्यालय के प्राचार्यों में से उन प्राचार्यों की, उपाधि महाविद्यालय संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी, जिन्हें प्राचार्य के घद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। पदोन्नति, योग्यता–सह– ज्येष्ठता के आधार पर होगी। परन्तु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विघार नहीं हो सका।	(१) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य – अच्यक्ष (२) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा – सदस्य (३) आयुक्त, उच्च शिक्षा–सदस्य	
2.	प्राच्यापक / पदोन्नत प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	प्राचार्य रनातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संघर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, कम से कम दो वर्ष का अनुमव रखने वाले प्राप्यापकों में से योग्यता-सह- ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी मर्ती के प्राप्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां अलग-अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राचार्य के पद पर सीधी मर्ती के प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राच्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राच्यापकों की ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राच्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राच्यापकों की ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जावेगी। सीधी मर्ती के प्राच्यापकों की ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग से जाश चयन सूची में दर्शाये गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर होगी।	त्तदेव	
3.	सह—प्राच्यापक	पद्मेग्नत प्राध्यापक⁄चप संचालक	चन सह-प्राध्यापक को, 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने :	त्तदेव	

छल्तीसगढ राजपत्र, विनांक 16 जनवरी 2019

			(क) सह प्राच्यापक के रुप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जेसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेनी। (ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अथ्छी हो।		
4.	संहायक प्राच्यापक	सह–प्राध्यापक	तन सहायक प्राध्यापक को, 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पदोम्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने: (क) सहायक प्राध्यापक के रुप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सी हो। (ख) वेतनमान 37,400-87,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिग्ट है, जिसे कि शासन द्वारा पृथक	त्तदेव	अनुमव एव योग्यता, जो कि अनुसूरी— चार के कॉलम (4) में उल्लेखित है, के आधार पर, राष्ट्रायक प्राच्यापक की पदोन्नति सप्ट— प्राध्यापक को पद में की
	0		<ul> <li>से अधिसूचना द्वारा जारी की जावेगी।</li> <li>(घ) कार्य निष्पादन संबंधी धिंगत (७) वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।</li> </ul>		जायेगी ।

टिप्पणी :--

- (1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अतः उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नतियां नहीं होंगी।
- (2) संहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी :--
  - (क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु— सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी को, 15600–39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि जसने :--
  - (एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि वह पी.एचडी अथवा एम.फिल धारक हो तो सेवा काल क्रमश: 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो;
  - (दो) यदि वे पीएचडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफ्रेंशर कार्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के समरूप हो,
  - (तीन) जसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो।

32 (32)

*	A		
छल्लीसगढ राजपत्र,	डिनाक	16 जनवर	2019
strength and start start	10.00.00	10.463.464	

- (ख) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु— ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक / ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि उसने :--
- (एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रुप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एचडी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;
- (दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुधित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और
- (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।
- (3) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में पदांकन के लिये छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम		
निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक	-	संयोजक
(दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग (तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य	-	सदस्य
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट)	-	सदस्य
(चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद	-	सदस्य

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अक्धारित करने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य संपादित करेंगी।

नोट :- ज्येष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। छत्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2019

1. नाम तथा पता         विषय         2. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो)         3. जन्म तारीख (अंकों में) (राखों में)         4. पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी         जायु वर्ष         माह		(सहायक प्र	ाध्यापक / क्री	(नियम 17 (1) आवेदन क डा अधिकारी/		फोटो पासपोर्ट साइज (अनुप्रमाणित	
2. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो)	1. नाम त	था पता					
2. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो)				-			
2. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो)	विषय			· setteration · · · · ·			
3. जन्म तारीख (अंकों में) (शब्दों में)		का नाम जिहां जन्म	। हआ हो)	-			
(शब्दों में) 4. पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी दिन				1			
आयु वर्ष       माह       दिन         मंडल / विश्वविद्यालय       वर्ष       श्रेणी       विषय       प्राप्तांक /         मंडल / विश्वविद्यालय       वर्ष       श्रेणी       विषय       प्राप्तांक /         (1)       (2)       (3)       (4)       (5)         (क) हायर संकेण्डरी							
5. शैक्षणिक अर्हताएं         मंडल / विश्वविद्यालय       यर्ष       भ्रेणी       विषय       प्राप्तांक /         (1)       (2)       (3)       (4)       (5)         (क) हायर सेकेण्डरी	4, पद के	लिये विज्ञापन दिग	र जाने वाले	वर्ष में 1 जनग	वरी	क	
मंडल / विष्टवविद्यालय       वर्ष       श्रेणी       विषय       प्राप्तांक /         (1)       (2)       (3)       (4)       (5)         (क) हायर सेकेण्डरी	आयु व	वर्ष		माह		दिन	
(1)         (2)         (3)         (4)         (5)           (क) हायर सेकेण्डरी							
(1)       (2)       (3)       (4)       (5)         (ख) स्नातक	महल /	/विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रणा	विषय		
(क) हायर सेकेण्डरी		13	1-2	1-1	1.3		
(ख) स्नातक	(m) mm		(2)	(3)	(4)	(5)	
(ग)       स्मातकोत्तर         प्रत्येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।         8. यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई         है. तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र         प्रस्तुत करें         7. यदि अम्पर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है         तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति         के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी         का प्रमाणपत्र संलग्न करें         8. यदि अम्पर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना         पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम         दर्शित करें         9. अन्य कोई जानकारी, जो अम्पर्थी देने का इच्छुक :         हो         तारीख	1	proved to shake the					
प्रत्येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।         8. यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई         है. तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र         प्रस्तुत करें         7. यदि अभ्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है         तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति         के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी         का प्रमाणपत्र संलग्न करें         8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना         पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम         दर्शित करें         9. अन्य कोई जानकारी, जो अम्यर्थी देने का इच्छुक :         हो         तारीख	(a) +-110						
<ul> <li>8. यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है. तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें</li> <li>7. यदि अभ्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें</li> <li>8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें</li> <li>9. अन्य कोई जानकारी. जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक : हो तारीख</li></ul>	/ग) उत्ताल						
तारीख			नुप्रमाणित प्र	ति अपेक्षित है।	1		
	प्रत्येक के हि 6. यदि ए है. तो प्रस्तुत 7. यदि उ तो अन् के नाम का प्रम 8. यदि उ पदनाम दर्शित	लेए अंकसूची की अ स.फिल / पी.एच.डी. विषय का उल्लेख करें सम्यर्थी अ.जा. / अ.ज पुसूचित जाति तथा म का उल्लेख करें सम्यर्थी पूर्व से ही नि र, संस्था का नाम र करें	उपाधि दी ग करें तथा प्रम एजा, प्रवर्ग व अनुसूचित ज तथा सक्षम अ नेयोजित हो व तथा विभाग व	गई माणपन्न मा है ानजाति मधिकारी मधिकारी दो अपना का नाम :			
	प्रत्येक के हि ह. यदि ए है. तो प्रस्तुत 7. यदि उ तो अन् के नाग का प्रग 8. यदि उ पदनाम 9. अन्य र हो	लेए अंकसूची की अ त्म फिल / पी.एच.डी. विषय का उल्लेख करें सम्यर्थी अ.जा. / अ.ज पुसूचित जाति तथा म का उल्लेख करें नाणपत्र संलग्न करें सम्यर्थी पूर्व से ही नि र, संस्था का नाम र करें कोई जानकारी, जो	उपाधि दी ग करें तथा प्रम एजा, प्रवर्ग व अनुसूचित ज तथा सक्षम अ नेयोजित हो व तथा विभाग व	गई माणपन्न मा है ानजाति मधिकारी मधिकारी दो अपना का नाम :			

32 (34)

1019-40514 62614. 31 CIGA 31 (2) 27 14 MJ 32M 9-walk 21 Ray - Falbur and 1. जाममार न्ही कुल्तीर वास्तवा " अग्रेम स्रम 11 as frazz . ड का मार्ग करने करने का माया क the start 3 mar 101212181 82 7 1111 1 मी बारह आंडेक ताल 1 . 11 B min - Forgete Sind of the feel " St. की बोलेब मामरेक -10----Principal भी हिरेश गाल्या द "Govt. Digvij. .. College Rujnandi, in (C.C.)

my A of 120 भी भो डड़ारिस (अप्रमा) मोट खाझि 12 21 2401p - 21 pg 21 - 4 mit 54 [2/2023 11 10 भी आसम उधोगन क 14 भा आगम सामा 15 ext yoka why 16 11 भी विकार हा भी 12 11 of lama and 1 75 25 STUR MER 19 11 at CAME 312AP 20 21 ATG BEIZZ 21 11 ्री विद्युः अभामामा 20gi) agoin mails 23 भी भी २76) 24 1 Alain भी संबंध आयताय 25 ्रिशह भेट्रत हि 26 की रामा सारत . 3.7 of Edito 2414 1 295

आनमाय क् की अंसका हहे कर . A. ALKIT . ISSL. TAR. HOR IN 80 The ardans : main mai. 61 as al ugas avairana fino 82 and stard sys last the 33 की मेहन्द्र हिंगेर हार्यान. 3.4 31 Asontal9 ANN. Abhon Senten19 35 निर्माहाकार्य. The state is the state and the state of the २ लासोहम मला भार्यन्त्र साम से रोकार टाइरिस हेत. बिही सराम आवेद के प्राणम हे पर स्वित रे ब्राह्म इन्ही सराम आवेद के प्राणम हे पर्व स्वित रे ब्राह्म हेर दावार जिस्ही रा राजासर के रेवाम, ट्याहीटेंग 9 उन्होंका अग्रेम कार्य के जोट्स कार्य उन्हें क मार्ग टेंड-उद्याला, रायल्ट, व्यक्त हिम्ब, लाग्रे क्रांग, ग 2 काओं आहे अहम के साम के ही ही, लया बन रुफ निविभाज हि साही मिल्ली का कार्य, S manion pra adamp on atcaras azi diraj-G

77 36. Dr. Majid Ali 13 07 Dr. S. Khan than 08 Dr. Aniuna Thales All मानेभीन अराक मराफ करी अरामों के आवे में दिव में दिवा I'M B BA WIND ( W. M. M. M. ) & agand & 100 47374 AT 20 4109 05 Part John 17911 राष प्रभाव के प्रायमि अतम के उपत होते. जे उस कार्य करते के अनुभाव की जहा • 2500 01322 2 21 21 m 2 200 C2112 02 - 1202 2121 A 60- Stral Harr Maint af 31200 2 312 1 FRATH F22 EZ ZJ GVQ J2030 14510 35 2 3 call 1 33-1 TOP. HAN HARRY A STRA MAKE GOTTE 4 टाईक्स भग्ने, भ से से से से में में से माम में सी मा 5 -manarey- ph gramp and under out allatis 3123 6 (2) 1 1 2 may HTM2 & HOER AS 31300 - 3- JE +

world und FITH DI and. Borrain Birmer (KD BODY BIOGH ZAD-330:3 00 falling afzi Gern- 20m / 2 31174 2 22 10 005 - 10 705 /3 WIRTH - 420 100 NOT 4 ICH OI - FIE ANGE BEGNE 3 BIBB/ BIDBUST W3) ADT EL ST MIS AND A BIDBUR 6 BC322 20 2027 Mar 32 mars 21, 2452 30 mm 2 Bara De 2 B Bragraj Mj Banz BRAD. छेट्युट सेय 3 B छोल्युटरे ला हिम्मार मन्मम. 1 Zorower @ Biczerai . 000 - 57012 - 372 352 . 002 โลโพรต์ ( ถิพเวม) 6 ตัวสูโล องสาธรร / คิง 2) พกท โลพชพิงภี ตก. คิงณี 5 ह रा मा रोमार मनमा जाये. STAR WHIN WERR- 31 MM (3 M) of 7 Benjan of say 25 gan on ga. 8

owner the good a car and any i can be marthal as an いかん も やうう) 34 3 co vala 2,124 - 20 0 20 mg 2, 12 Bu vary war 10 47 por of 200 24 12 Carter in 102 102 11 11 4 30, 3, 60 24 08 24 31 13 1 OIDA / OTDER ANDANT CZ SO AST HINT ANZI 200 M HAMAN 1 121 and marging a sugner of stal BUILD BE & BE BERGEN AT BRING AST - ER 313550 ) 0)(4522 Will g'3 ) 3117 2020 BODDA) MÍ GIMA AN is the the starts and and and and and the start ( sic for ranis i surror dans many the surror if it ·スリアレモ)

B

4

5

6

9

2

0

4

5

6

7

8

2 510 & MAN 2 A C 3 05 21 M. Aron G. Jay W 21 75. 2 31873 9 88 10 21 12 08 9 21 00 Jorn 14 (50 10) 91251 ठा छक्ष व्यागीम दिइ जे दर युगा देको की म and about the for the more son don 2 actored and signed and and and 3 44135 MM 23 100 005 07 83 My 0439 Pay-4 aiza Kal Eiza, 341 1774 3 471-5 - 2 raint reas minjuin à sir 1, 438 25 4123 > Minjon 2, 208 a Cress ( and a 34235130) .6 QUARAD 22 - 4) 4/412, 221 (21, 67) 3 MAR - 2) 10 4/2- 02 arma mart o2. 2 र भो द भा 9 04 EU 2705 02 4 5. 722-. 02 मायोठाक उत्तकरत सामकी की हम लिमिरे. इसायम, वन प्रारे, ठायो टेन्नाइहाल, आहेह) कालम

07 - A. St. 9 NOBOR WARM. 3014 303 Million 29 23 07 ANNA 8 24 BUTT - 375 1 ON TO AT 1 2 MAR 22 CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHAT AND LOAT 1 2 MAR A MAI B CZ TIMAR I J'STAN SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHI SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHI SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHI SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHI SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C 2 the state and the way 2 aborton auman is star 25 25 25 and 24 2019 12 10 243207 - 27 275 1 12 10 243207 - 21 275 1 12 10 243207 - 21 215 - 12 2007 28 213082 - 25 213 1 2 S eurainan 22- 100 2733 banking gran ph-an 313702 - 100 2733 banking gran ph-5 NOWYN READ TO STATION ONLY M SHITH 3) a) een en arri Fr & Mar 200 (1000) -21/20) -220 ) mg 21230 ) 31. Já een 311 à 800 à Mar 2200 ) 31 500 ) - 2[ 2] J . 1 2 229] 2 21 9 901 3) 345 39 2247 Col 315302- JUT 3 EIC JE LAURE - The CARE (SO IN ALING , BCILE ) OR MEED 4 Wup Principal Govt Digvijay College Rajnandgaon (C.G.)

1019-40514 62614. 31 CIGA 31 (2) 27 14 MJ 32M 9-walk 21 Ray - Falbur and 1. जाममार न्ही कुल्तीर वास्तवा " अग्रेम स्रम 11 as frazz . ड का मार्ग करने करने का माया क the start 3 mar 101212181 82 7 1111 1 मी बारह आंडेक ताल 1 . 11 B min - Forgete Sind of the feel " St. की बोलेब मामरेक -10----Principal भी हिरेश गाल्या द "Govt. Digvij. .. College Rujnandi, in (C.C.)

my A of 120 भी भो डड़ारिस (अप्रमा) मोट खाझि 12 21 2401p - 21 pg 21 - 4 mit 54 [2/2023 11 10 भी आसम उधोगन क 14 भा आगम सामा 15 ext yoka why 16 11 भी विकार हा भी 12 11 of lama and 1 75 25 STUR Rierds 19 11 at CAME 312AP 20 21 ATG BEIZZ 21 11 ्री विद्युः अभामामा 20gi) agoin mails 23 भी भी २76) 24 1 Alain भी संबंध आयताय 25 ्रिशह भेट्रत हि 26 की रामा सारत . 3.7 of Edito 2414 1 295

आनमाय क् की अंसका हहे कर . A. ALKIT . ISSL. TAR. HOR IN 80 The ardans : main mai. 61 as al ugas avairana fino 82 and stard sys last the 33 की मेहन्द्र हिंगेर हार्यान. 3.4 31 Adontal9 ANN. Abhon Senten19 35 निर्माहाकार्य. The state is the state and the state of the २ लासोहम मला भार्यन्त्र साम से रोकार टाइरिस हेत. बिही सराम आवेद के प्राणम हे पर स्वित रे ब्राह्म इन्ही सराम आवेद के प्राणम हे पर्व स्वित रे ब्राह्म हेर दावार जिस्ही रा राजासर के रेवाम, ट्याहीटेंग 9 उन्होंका अग्रेम कार्य के जोट्स कार्य उन्हें क मार्ग टेंड-उद्याला, रायल्ट, व्यक्त हिम्ब, लाग्रे क्रांग, ग 2 काओं आहे अहम के साम के ही ही, लया बन रुफ निविभाज हि साही मिल्ली का कार्य, S のいれ」のかっ いろかかう めい しているい あら のろうう きょうろう ショーシー G

77 36. Dr. Majid Ali 13 07 Dr. S. Khan than 08 Dr. Aniuna Thales All मानेभीन अराक मराफ करी अरामों के आवे में दिव में दिवा I'M B BA WIND ( W. M. M. M. ) & agand & 100 47374 AT 20 4109 05 Part John 17911 राष प्रभाव के प्रायमि अतम के उपत होते. जे उस कार्य करते के अनुभाव की जहा • 2500 01322 2 21 21 m 2 200 C2112 02 - 1202 2121 A 60- Stral Harr Maint af 31200 2 312 1 FRATH F22 EZ ZJ GVQ J2030 14510 35 2 3 call 1 33-1 TOP. HAN HARRY A STRA MAKE GOTTE 4 टाईक्स भग्ने, भ से से से से में में से माम में सी मा 5 -manarey- ph gramp and under out allatis 3123 6 (2) 1 1 2 may HTM2 & HOER AS 31300 - 3- JE +

world und FITH DI and. Borrain Birmer (KD BODY BIOGH ZAD-330:3 00 falling afzi Gern- 20m / 2 31174 2 22 10 005 - 10 705 /3 WIRTH - 420 100 NOT 4 ICH OI - FIE ANGE BEGNE 3 BIBB/ BIDBUST W3) ADT EL ST MIS AND A BIDBUR 6 BC322 20 2027 Mar 32 mars 21, 2452 30 mm 2 Bara De 2 B Bragraj Mj Brung- ARMA. छेट्युट सेय 3 B छोल्युटरे ला हिम्मार मन्मम. 1 Zorower @ Biczerai . 000 - 57012 - 372 352 . 002 โลโพรต์ ( ถิพเวม) 6 ตัวสูโล องสาธรร / คิง 2) พกท โลพชพิงภี ตก. คิงณี 5 ह रा मा रोमार मनमा जाये. STAR WHIN WERR- 31 MM (3 M) of 7 Benjan of say 25 gan on ga. 8

owner the good a car and any i can be marthal as an いかん も やうう) 34 3 co vala 2,124 - 20 0 20 mg 2, 12 Bu vary war 10 47 por of 200 24 12 Carter in 102 102 11 11 4 30, 3, 60 24 08 24 31 13 1 OIDA / OTDER ANDANT CZ SO AST HINT ANZI 200 M HAMAN 1 121 and marging a sugner of stal BUILD BE & BE BERGEN AT BRING AST - ER 313550 ) 0)(4522 Will g'3 ) 3117 2020 BODDA) MÍ GIMA AN is the the starts and and and and and the start ( sic for randor if survey adar anany the survey if it ·スリアレモ)

B

4

5

6

9

2

0

4

5

6

7

8

2 510 & MAN 2 A C 3 05 21 M. Aron G. Jay W 21 75. 2 31873 9 88 10 21 12 08 9 21 00 Jorn 14 (50 10) 91251 ठा छक्ष व्यागीम दिइ जे दर युगा देको की म and about the for the more son don 2 actored and signed and and and 3 44135 MM 23 100 005 07 83 My 0439 Pay-4 aiza Kal Eiza, 341 1774 3 471-5 - 2 raint reas minjuin à sir 1, 438 25 4123 > Minjon 2, 208 a Cress ( and a 34235130) .6 QUARAD 22 - 4) 4/412, 221 (21, 67) 3 MAR - 2) 10 4/2- 02 arma mart o2. 2 र भो द भा 9 04 EU 2705 02 4 5. 722-. 02 मायोठाक उत्तकरत सामकी की हम लिमिरे. इसायम, वन प्रारे, ठायो टेन्नाइहाल, आहेह) कालम

07 - A. St. 9 NOBOR WARM. 3014 303 Million 29 23 07 ANNA 8 24 BUTT - 375 1 ON TO AT 1 2 MAR 22 CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHAT AND LOAT 1 2 MAR A MAI B CZ TIMAR I J'STAN SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHI SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHI SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHI SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C PARTY ( DAT) 2 PHI SITA AND BOD WE ZZ CTG. COMPT C 2 the state and the way 2 aborton auman is star 25 25 25 and 24 2019 12 10 243207 - 27 275 1 12 10 243207 - 21 275 1 12 10 243207 - 21 215 - 12 2007 28 213082 - 25 213 1 2 S eurainan 22- 100 2733 banking grein ph-n 313707 - 100 2733 banking grein ph-n 313707 - 1 573 1 n 3122002 ph 1029 in 312000 35 213 1 5 NOWYN READ TO STATION ONLY M SHITH 3) a) een en arri Fr & Mar 200 (1000) -21/20) -220 ) mg 21230 ) 31. Já een 311 à 800 à Mar 2200 ) 31 500 ) - 2[ 2] J . 1 2 229] 2 21 9 901 3) 345 39 2247 Col 315302- JUT 3 EIC JE LAURE - The CARE (SO IN ALING , BCILE ) OR MEED 4 Wup Principal Govt Digvijay College Rajnandgaon (C.G.)

42 12412 27 07 2022 दूनों के -विक्रोर 7/ 2022 of 20121 ्रेरापु-नी पंड में पंड में ररवी गया। जिसमें निर्म रन424 34 दियत 2 et गडा वी.एन मेर्याम yran 211. 20202 2461. ) डो. पंथमा जोस जान पाद्यापक 21124014 - मध्यियालय आम ल डा. रीया ठाम्ट्री 2110 - -211 - 4610 22 भि ठीठ एम छेठ सीन खूबा (शिहा एवं उद्योगपरि निवेषन् ) एडल्होब्रेट भी महेन्ड वम( निष्य निमोधन सदस्य) डाठ पन्नाल्यल वासजिट चिडिला विनालन (तदाल्य) डा. डी. पी. कुरे F प्राचार्य द्वारा समानित सदस्य)

8. उा. शंकर मुनि राय -A 27.7.22 Si आहित 93712 मिन्ही 9. ( Sichia Ella Franchi A 21(2) si al white has its 0 27.7.2022 12/02 डां प्रतिकाला संक 11 Tehur 12 1994 A BOT 61012-07.2022 13. डा. किरण लता ट्राम्ल 14 ST. P. an instal 15 Youmes for king 16 Do KNPrasad KA 17. RAJU KHUNTTEY Kanto 18. Savita Chandrawanshi 19. Hempushpa श्रीभनी जालेना न्याह 27/07/22 20 31· दिव्या देशपाणे 2717/22 21 डाँ अंगली मोहन कोड़ोपी Anjaho 27.7.22 22 mite 27.7.2022 Dr. Anita Shantor ( Dept. of English ) 23. 24 1 . 7202 27. 7202 by Shabnam Khan 25. Dr Shailendra Singh Pramod Kr. malish 26 Dr. 27. DO M.S. ALREJA FISA

Page \_ 28 5. 64. 3. 35 29 SID ENTE ZIA anzal 30 भी गोरेला राम निर्धाद परिषद् की जेल्ड के स्वयमा महाविद्याला डांग् छेग्र लग राठो जारा स पश्चान् सदस्यों ना स्वागन हिमा पश्चान पिछले अस्तान परिन्दन रुवे पिछले अस्तान परिन्दन रुवे पिछले अस्तान परिन्दन रुवे पिछले अस्तान परिन्दन जिस 3(21) 91-2126 भी होतुमाएँ में त्रिका विध कुमा अस्मा Teri STY बिह्य विभाग हन्तीलगढ बासक डारा सम -23 रते हल्तीसगढ़ 3 लगी 08 स्वज्ञाती 3001 महाविद्यालयों के NEP2020 डे क-नगीन स्नात्र अलम वर्ष में सेमेह्टर एवं CBCF va CBCF/LOCF पाइपक्रम लाग्र किया जा रहा है इसी क्रम म आंसकीम दिग्विज्य स्वशाली स्नातकोर्ज शहाविश्वालय अनि का निवाय लियों गपा Clix साय ही अहाविश्वालम ने स्नातन द्वा पा द वर्षा दिनी पाष्ट्रपढ़न लगर छिमा जा रहाड विकिन विखमा & पार्टपढ़न तैया वा जदय्यज ने से हाउगोर्ट वर्रा लिया जामा ही यह dison 415×197 192 às 2 31 EPTT BUNGE UTEURE A MULTIPLE EXIT and MULTIPLE Entry (MEME) ON STATE EMI STIDE 2) उपरोक्त (1)>> 01 वर्षत्रि पाष्ट्रयक्षम (प्रव्यम एवं किलीय सेमह्टर) पूर्वा छति पर विस्ताव्यी को लगलउ सार्यफेडर सार्यफेंब ट प्राप्तन होगी जिसने लिये हावटमन 48 ( गयंड उर्यह्रे (प्रवास में चर्ना सेन वर्षीय 4104,37 TC) 02 (11)-> ही स्नतिष्ठ विद्याधी हेगी নিন্ট लिये 80 पार्रा APPIER 961 EM

(11) 03 वर्षीय पाइएएम (प्रथम से छटने सेमेस्त) पूर्व करने घट किंदाव्यी को प्रिजी (स्ताल्य) के पाइएम होगी जिसेंड लिए 144 क्रेडिंट संगहित क Eam डाना EIII/ (1) 04 वर्षीय पाढ्यफ्रम (प्रवाम से साहवे सेमेट्ट) - ना विषिय धाड्यफ्र में उसी विद्यावार को न्य दुखे वर्ष में प्रवेदा उटि डी पाछ्ला होग्री जिस्छा उवर्षीय पाढ्यप्रम में (app 7-5 या दसवे कव्छि ठ) (cpp आया हो/ विप- वर्षीय पाढ्यफ्र प्रा कही वा विद्यार्थी की जान्त दिया या डिजी विद्य सिंस्ट (Ennes) की पाठ्या E)A 29 EZ -Z-1-5 192 352 Eam 3(1) EIM/ 3) अहाविद्यालय में 02 प्रकार दे स्नालकोक (पार्म्युम संचालित हो ?? ] (1) 02 2014 Entro)~ ( 4164927 ( 03 a off Bottent formal à Tap) (1) 01 वर्षीय रंगान्ड) ( पाइ यद्वय ( 04 वर्षीय छेड़ी बार्स विद्यार्थी डे लिए जिन्होंने 03 वर्षीय पाइयदम में 7.5 ССРА या उसले आचिड ССРА आफिंग किय है) 4) सहा 2022-23 हेन्द्र पार्वयक्षम समिनि ठार्रा 18 रनारगोल 24 स्नान्ड पार्वयक्षम का छाउना ५० छरा लिया गया हे साथ ही 2 पी. त. हिल्लामा, 2 डिप्लोग तेला 4 एड आई को ही है साल 18 वेल्यू-एडेड सर्सिडेट पाढ्यद्वम हे पाढ्यद्वमां हा छाउमाइन करा लिया गया है। S B.A., B.Sc., B. Com., एवं B.C.A. प्रव्य वर्ष (प्रयम एवं डिर्नाय सेमेहरा) के लिए UGCF 2022/CBCS/ LOCF (NER2020) UIGUAN MERING JS& SRT 8137149 521 [@21 2121 2121 ET ि हिन्मेप एवं त्रनीप वर्ष (old course) हमन्द्रेय थारव वित्रवविष्यालय उर्ग डे पादयक्षम् डे केडसार संस्थालिन होगा

ATING (NEW CBCS/LOCF Course) GUIN PA Parta GAREZ & Unidroj Sienes (Environment a Studies) के जातरिं स्त्यांकन् ह्या छाजेकर के स्तान्यार्ग हिंगा ग्याही जिसके कन्त्रत्र खुन कार्ये आसपास के झोक में लोगों को पयविट्या देशा हर आगर्ड करें हो छोनेक्ट कार्य के ब्लान्ड हरा पर संबादित स्वानीय भाग का दिखर हुए डिमा गया हो, छोनेक्ट कार्य 10 बंटा कार्य डरा किवार्म होगा। 8) हमनेव स्वादक किस्व विद्यालय के पड छन्छ 448/ परी झा / 2017 हो दिनोर्ड 19/07/2017 हे अन्द्रपार स्टाविस्तालय के खट्ययहरू स्नात्य किर्नाय एवं तृतीय वर्ष (01व (व्यक्ट) के छाछ हार्जाकों हेर्नु जाह दि्सम्बर्ट (ज्युवरी के Els, आंगरेड मूल्याउँ पर्राष्ट्रा की आयोग दिया जाग 31192205 El 30123 204132 9X121 95T 303 वार्षि प्राह्म के आद में जामा जाना है जिसमें मान रिउ प्रल्यांडिक हत के उठे आदिमार 10% ल्या प्रत्या परीशा डे केंड का 90% आदिमार होगा जा नियावी के आन्तरिउ प्रल्यांडक के काउपाल्वस दागे 3-31 मूल्याउठ जेवल 90% वार्षिड इन्ड 3 आव्या पर दोगा / 30 र पारेवर्ल्ड हो वमायोजिन करत हुय रगारड प्राह्म सम्पन्न छर्दि आक्रेमी 31-1123 2021/23 92121 3 9043 पत्र प्र 3 अग्रिकतम कान्द्र वही होगे और मुटेबा YNE A TREATRA EL 9) KAINS (NEW CBCS' (NOW) # 80% 815 End semests Exam a all 201, and Internel Exam and ENTI I DIN CARTER 02 311-0125 एरा हा के आयोजिन बढि ठा प्रावदाहर

ton DIG fazznat. à GIST 051 ( Jary / Regita Harea) dot atette. 10 04 gatt 300 In45 YAR 975 3115 and EI-IT-Alas ymaetter Lens 42121 9 A H 2022-23 412 <11-3)~ Kotto3 H 2022-23 38 And algerier 21211013 10 प्रवाम समहत्य में 9921 511 3 41844 CIQ ycely 81940 3190120 SKI Zar KOTNE TENT a Nall 01/2/11 14211 102) TENTY d1 Enlas)~( Nall at ति रोय po ञ्हाविश्वालय yra 901 ð Udat 371 45ZU आरोगा । TGZIT माद्यम TOSTED BILDED HELLORD AHEN LAANK! 12 The the the À Faincel 20 31/240 3 YIZON 007 YOUT of प्रश्मि 2009 Tatt A 2019-20 39 व 2410 ast 415324 2A 012 doi 21es 4.920 31123 G-197 210 alog 00 Tot 2013(1)(E 1821 2/211 1014 020 951 antis zing 951 23~B 29 32D 1120=00 930=0 B.SC. 2,3 (Annoul) B.Sc. 1 (Semester) 1120 = 0 1100=00 B. (000-2,3 (Annul) 880=0 B. com. 1 (Semesta)\* 1100 = 50 1120 = 40 B. A. - 2,3 (Annual) 930=10 1120 = 60 B.A-1 (Semester)\* 1480=12 B(A-2,3(Anum)) 2000=00 BCA-1 (semeste)" 2000=00 M.SC. (Can. scie a) El.)/M.A (Geo suphre) 930=00 1170 = 10M.A. /M. Com 880 = 00 1150=0 M.S.WIDCAIDGOCA/Tally/1039 1300=00 1080=0 M.Sl. Carpup Science 1500=00 1280=00

(1) KAICE (B.A) 7 2017/05 1944 1931101 50/- (4219 कार्गरादक 20 2beg (1) \$9 3 A 1341 विषम 9381 में आदि पानद्यात्र है उस्ते परी हा 25-9 200 पि या रूपमे) हार्रारवर 25-3 94  $(\tilde{n})$ Kit Add-on- conse a Uitzy Storg A 250=10 (दोर्सी पन्दाप् Tachta, 1-44 DAT ET (IV) LATING FOIL (AINS) MI 3 IMP 19000 ZLAG Acuirr Biro INE A 31/27/201 HLAIB 13 200=40 (9/4/ da 194) mail 42-41N\_ SOD=40 ( पान H X-44) THIGHERT W) 2.0 Nait ATKT & ystay en 650=10 2044 A 730 474 B21 DIVIE (El SIR 100= 40 Ugar. 1 will 100/21 Duplicate Admit (gre) 31 2363 20=40 र्भव 2749) weil Dupli Cote Marksheet 5 23-0 200 = w (9) सा रूपमे 3) 17014 लिया जाया है। एरीहा के जामनीप नार्भ को बाहा जो ज (बहाखी प्रश्न ग्री न्यंग्रेड या क्षेन्य सवर RECZ कार्यात्र की कनुमान ही छिराये का वाहन कार्त की अनुवांसा की नई | 9185 वह दवानीय धर 95 71-21 EPTT Externel Examiner dell 30-29 tarp 5077 3 ONER 310 वाले प्राह्यायठो ð T.A. 2011 D.A. (211H3 BAT MIX at 1 3140 2012 3 may T.A. 1020 Jir BarALC Lay 3 alto A rait Taxy 36 CIL 1220 জনি sterna) rall BILD H हाल GEEN al 13-141 RILLIS at 47 MI-4 EPATT

(8) रतात्मकोन्स (सम्मी सेमेस्ट) मज 2016-17 से प्रतिशा प्रक पर की प्रतिष में एतिकर्फ, विया गया है प्रक एव तीक द्वाडों से विव्याफ़िंग होगे। वही 2022-23 से रत्नात्में प्रवास वही (प्रयाम एव वही 2022-23 से रत्नात्में प्रवास वही (प्रयाम एव किरीय सेमेस्टर) से प्रतिशा प्रवत पत्र ती रव्वों किरीय सेमेस्टर) से प्रतिशा प्रवत पत्र त्वों A PASITON ETOT NOT ATTAS- GUIT, ROTY 2016-17 ( Old (one) on yen us er 2016-17 3 URans 3 31344 2601 / Jain, 1824 एवं स्तीयवर्ष (Entra) एवं डिट्यमा पाद्यक्रम् र्रीय प्रदे पर मिरिंग का पारिष्मि 900=00 (मार्थ) पुरु प्रति रना लगेन्स ( सेमेहटर प्रतिश्चा (मार्था कप्र) एवं रना लगेन्स ( सेमेहटर प्रतिश्चा (मेर्ग पुरु सार्टिंग का पातिश्चामिड 1800= ( 15 (मार्था काठ सी क्योंग) राषा दोसले हा - हार्स 200= 40 ( ता सी क्योंग) प्रति प्रश्त पुरु देर रहेगा ! (१) परीष्ट्रा उन्तर भीट मूल्योंकनं हनाल इ हला हेन्छ । इन्ल (पन्द्रह २न्प्ये) लखा रूनाल झेला हला पर 25=0 (पच्छीस रूप्ये) प्रति इगीट निर्वाटित डिया गया है। पच्छीस रूप्ये) प्रति इगीट निर्वाटित डिया गया है। मूल्योंडन की न्यूनल ज्ञाशि रूनाल हला पर । इत्त = (सी क्याये) एवं हनाल होन्स हला पर 200== (वा सी रुपये) प्रति प्रकृ पत्र प्रकार पा विद्यीरित डिया गया ही 20 मरिकेड परिश्वा की मूलयांकन नामि (पारिशमि) द्रनांतड रूल्ट पर, 12= ~ (ब्स्ट रन्पे) प्रति परीसाबी/ प्रति कांपी एवं रूनालकोन्तर स्तर पर IS= ~ ( प-SE 204) प्रति परी शार्थी / प्रति कांधी तथा नमनम राखा दनात्म्छ। स्नात्म्छात्म् ( छे लिए पारिष्टाग्रिङ 500 = 6 ( पॉन्ट ली क्रय्ये) जिल्धारित दिया अत्या ही PG प्रोमेक्ट मुल्माइन एवं माखिड परीद्या पारिङाम्ड 100 = 6 (ली क्रय्ये) प्रात्ने प्रोनेक्ट निर्धारित क्रिया अया ही () 500 = 10 (पांच्य सी रूपेय) तठ की मूल्योंक शाहा में कोई क्टोंनी सही होगी तथा

500 = 00 (पांच सा रूपये) से आद्ये की गांच पा 37. (तील प्रतिमात्र) TDS करोत्री प्रद्विया ब्रुल्फ के रन्म में क्या जायेगा। राशि का भुगग चेड/ खानव्याई हारा अग्रामा (डिया जायगा) प्रद एवं पुनेय त्यांडेज / पुनेगणना का पारिश्रीय होरे पर मगढ भुगलानु किमा आ सहताह 22 500 = 00 (पॉन्स् सी रूपये) प्रति निभग वार्षिड प्रतिवेदन (प्रिटींग न बाईडींग) पर राज्य हतु न राशि पिया जान पुस्तावित है। 500= - (पाँच सर्ग्राय) से काचित त्यय होने की स्विति के कार्रिकर ट्राय हेरु छात्वार्र की पूर्वान्द्रमति 819229 61 23) 212 2022-23 E.J. 10 ((4) Minor Research Project ( dy eller UR2)-101) Er प्रमेड को 50,000 = w (पंचास हआ( रूपमे) प्राह्तानिन् हूँ। इस हुनु निर्खारिन प्रारूप मे प्रपोर्श्व पेने पा विकोधन समिति छारा न्ययू म्बास्ट्री प्रश्नमें MRF को को लिम रूप से स्वीइन दिया जायेगा, यह पोजेकर व्यक्तिगत (संयुक्त रूप से डिया जा सहज्ञाही विक्रोष पार्टियोग में रूफार्पाकेंड / स्वज्ञाली जिलाम की स्वीवन पार प्रपृ व्यदाया खयमा जा सड़ताही डस्ट नारी का लय एएटू डे छाटा निर्द्धारन प्रदों में दिया जाना सुनिष्चेन 3771 29 दिगिव जम त्यारकार मात्य हेतु प्रतेष विभाग ने लिए 5000 = 40 (गॉन्थ हजार रूपपे) देने की अनुशंस की ठाई ही यह दावी केवल त्यारकार रुव्या ब्याहरी विश्वेषज्ञ के TAIDA के लिये है। S Rescuel front (रिस्ट फ्रेंट) के प्रकार का अय दुववाली विकाम से मले का निर्णम लिगा ्याहे अकाराज का टयय मिकिया पर कार्बायेन हेजा।

26) रवगाती परीझा नियाग ना अटक/ प्रद उनर पुत्तिका झोक मुची परीक्षा संबंधी सनी प्रपन्न के मुडल की राशि का त्यय, स्वगाती जिला के लिये रियाती, रेलीको बिल, बिजली बिल, कहराया जेस्ल (Brand of studies) विश्वाग कारा आयोजित नमाहत वैठकों की TA/PA जोपतीय कार्य व्यय प्राप्य व्यय मेंग्रेमह डिप्टी - रजिस्ट्रा विश्वविद्यालय, प्राचार्य तथा नियंत्र क अंद्रुसुची में हल्लाका (2.00 दे। रुपय पति अंद्र स्वी). कारि सभी ट्यूय काव्यकानुसा हिल्ला आसन क्रय नियमानुसा किये आरेके। (म) समूत 2022-23 हेनु 10 (दस) राष्ट्रीय सेमीना कराया जान अल्जाविज है प्रत्येड पर ऋचि छत्म 50,000= (पन्चास हजा( २०१२) तड साही त्यय स्वज्ञासी परीहा अद से त्यय करने की क्वनुशेसा की जर्दा साय के राष्ट्री करने की क्वनुशेसा की जर्दा साय ही 3 तीक कान्तर्राष्ट्रीय देखीना नगराया जाग प्रस्नावित ह प्रापेड के लिए 1, 60, 500 = 50 (एक लाख रन्पय) आचित्रम द्वशासी सृद से पुस्तवित है। माय भम रत्याता मय स प्रस्तावन हा यदि कोई विमाग जामल्याईन / किनेड मोड में वेबीना ( राष्ट्रीय कर्त्याख्येय) हरा पा कराना चाहन है तो इस हेनु याख्येय वळीना डे लिए आखे. जाहन है तो इस हेनु याख्येय वळीना डे हिए जाव्यिकटम 10,000 = 40 (हस हमा रूपये) प्रयान करने की जानुशेसा की गई। 28) सब 2022-23 हेनु 3 कार्यशाल्य (राष्ट्रीय हला) पट कराया जान छल्लावित्र है। युत्येव के लिए 50,000 = % ( प्रचास हजार रुपये) आद्यिकतम (222 निर्धारित दिया गया। वर्न्यल कार्यशाला हतु 10,000 = ~ ( यस दजा( क्राये) ट्यय की अर्थमा की गई। 29 महाविद्यालय के मेचावी विद्यार्वियों, रिक्ट्यार्ड्यों का विशेष प्रोटलाइन देने हेटु नगढ़/ प्रदार/ प्रभाग पूर्व आहिस प्रोटलाहिन करने हा निर्वाय लिया गयाह カリエ1,

रिषलाडियों को हिंगे राज्य की टीम का मानितित राष्ट्रीय हला या बढ़े या उन्हे नगढ छठ्ठा क (भेग हजा रूपम) एवं अन्नर्राद्वीप स्वटवट कडिया 10,000 = 40 (GH ESTICANY) AT 2121 9915 257 STAIL छि विगत वर्षानुसार सांस्कृति गतिविच्मिं दे विद्यावियों की सहमागित की वहावा देने हेट-रवशासी विमाग से सोटमाह आही प्रवाम विमेग-छो 1000 = ~ ( एउ हमार रूपमे) हिन्में किनेना -Soo = ~ ( पॉन्स सरिय में), एवं रहनेमा छो -300 = ~ ( जोन सा रूपमे), एवं रहनेमा छो -उठा = ~ ( जोन सा रूपमे) राग्री प्रदाज करने जी -किरोमी छी गई। यह सार्वी अलग अलग विद्या-3 TRU SIENT - SIENT 9412 (321 JUTA) 31) परीशा विमंग हे जोपनीय कार्म हर 60.00 (मार्ट नेनप्रे) प्रतिदि की पर दे स्वानीय परिषहन राशि प्रदान किये जाने ही काउगेता की मई ही 32) रत्वशासी परीङ्गा विमान को निष्ठेशमेंट हतु 10,000 = 00 ( एस दमा रूपये) त्यय करें की अद्वारि प्रदान की गई है। 33) राग 2016-17 र महाविद्यालय में मेरर राताहर योगग लग्न कुछ की निर्णय लिया भया खा इस योगग में प्रत्येत कहा। में प्रत्येम आह वाले जिसावी को उनडे प्रीहा डे प्रीस इन्द्र में हर मिलेंडी यह सोजना सार 2022-23 में भी लाग्द रहेजी। 34) ट्रेसमेंट रोल हे नियामित शतिविद्य हे लिए 50,000= ~ (पन्वास हजार रूपम) की राबि। रवीकर करने की क्वेजवासा की गई।

35) National / International Seninor / Workshop Fall length paper 9E3N 950 UT ZARITA CRTZII Tall length paper 9E3N 950 UT ZARITA CRTZII Jaille STAT GIE21145/ ZEEL 91829145 UARD 9503 GUE EPITI FORMA 13 GIN LAZILLA UNITI TOTAL 2 - ---yalog 27 5741 05(1) 67211 36) (apacity Building Workshop Eng 20,000=00 (My 6311 244) of anat 20120 1941 211 37) 0162034 AT Study Tour (2)2103 210) et? 37) 0162034 AT Study Tour (2)2103 210) et? 3 3707 (01165 013 dot (a)12 A) Geoscuphy History, Zoolosy, Botany एवं वार्गिड्य 2700)27/ विझाग प्रत्येड विश्वाण की दबडाती दारीहा। प्रकोस इहा 20,000= क (जीस हगा रेग्ये) की राशि रूवी-इंग छरने की आख्योंसी की राख साख हि अन्य विभागों को भी भीमाणि भूमग 10,000=40 (GEI 6712 2044) det 2112 4619 050 की आदुबाँसा की राई ही भूमण के पृष्ट-गार-विद्यागे हारा भूभवा का एउँ विस्तूर रिपोर्ट जमा करने पर ही प्रदाय सीहों का लमायोजन भीया जायेगा / 38) सहिल् प्रकोल की वार्षिड आर्तावरिंग 5000= 10 ( पान्क द्यार २०पय) स्वीहत की कानुवास की रार्वी 39) Eco-Club को वार्षिङ गार्त्रावीन्द्र हेतु 10,000 = 4 ( 49 बगार 40 परेग) स्वीबत करने की सनुबामा की राद्री 40) विमान अल्लब एवं सारहरिंड रागिविसिं डे लिए प्रत्येच की 5000 = 40 (यांच हजार 244) स्वीहत अर्ग ली क्राग्रांसा की गई। (1) Literary Cheb as and and on and and Es 2000 = w ( GI & SIIT 444) 2-913 00 00-ठाउुर्शाता for sigt

AT 2019-20 27 Re-valuation Fees 200=2 (G) GI Loyi) Nour Restotabling fees 100=0 (एउ सीरन्ये) प्राने उत्तरप्रसिठा गवा उत्तर प्रसिद्धा का फोर्टो कांगी कहे पट 350= २० ( भीत्र सी पन्ताय रन्पमे) अभि उक्तर प्रस्नि निकारिन छो ) f all Re-revaluation fees 620= 00 (हर्सी की प्रमाय) प्रति उन्दर् एति 37 निर्धारित ही गई दी यह निर्धारण सार 2022-23 में भी भुभावशील सबडे का निर्णय TONAT STATET (3) Revaluation STA EN atel 25 BI STA Faculty ( mel, lasto well ortice) 1000 = 40 (13 हआर 2044) = शाबी अग्रिय दिये 5713. 51 Tooly लिया अमा ही पि रवराकी परीक्ष विमाग हरा कार्योहन वहा में आसिल प्रायेंड व्याहरी सदस्य (विश्वविद्यालम् पिट असा नामिन) को 1500 = क (एक हमार पोन्द (नी न्द्रपमे) क्रान्स्य समाज सामा प्रपाठ and all footy 1271 212161 यड) प्रिश्वा भाषतीय कांभ के व्याहट मार्ड नियंग्रेड, 84/54/23 एवं स्टायड नियेन्ट्र 500=00 (पॉन्स सी काम) की राही तिल्ड 10-137 ( JATE MOSTINE) 9 3-4 में स्वीडर BUT SPITET ) किन समिति है सदस्य के किन समिति 46 0463 A ATATA 23 40 500 = 40 (पांक ला २- 42) - लम्भाइ राहा प्रदाड कार्ड 37 BODI TONE PATEI () zazal unt up yold SKI mmility Minor Rescach Project ( org alter skulun)

के बाह्य मूल्यांकु केंद्र बाह्य ज्याह्य प्रीह्राद्र को पारिष्णमेड प्रति प्रोजेक्ट 1,000=6 (एउ ह्या २०५४) की मानदेश न्याह्र) (वीहर उथा म्या है। (क) महाविद्यालय दे लगी 18 (नामह) ( विभाग को Arudia v 41621954 ( Valued added Costificate (oune) (194907) (1000000) (100000) (10000) (10000) (10000) (1000) (1000) (1000) (1000) (100) (49) IOAC की नियमित गतिविद्य के लिए स्मेग 2022-23 हतु 50,000=00 (पन्ताम हजा( २०५२) स्वीह्र करने का मिन्य लिया ज्ञाहा 50) ठोपतीय कार्य हेतु विश्वविद्यालय या अन्य fello पर जाके हुन गतिदिन 100=00 (एउ सी प्रथम) जोरिवेठ छाला आसडीय नियमादुसा दिये जोठे की छिन्य किया गराही () जिसी की विभाग हारा विभाग के समस्य Rescarch Paper a) book à form & Publish (Proceeding) 3010 Erz 20,000=5 (after 4511 444) 5410 ato 51 190127 IPZI JUIET उपरोक्त समहत बिलिय मामल्ये (त्ययों) मे (1) च्वाह क्रथ नियम का पालन काहेवार्र हो। (1) राश्ची छा हरग छे द्व पानार्य की आउमीर आग्रियात्र ही (2) सम्प्रदत परीश्म आवेप पर्य आगलाईन मादयम से अडाविद्यालय हे पोर्टल से सेर आयेगे / (3) तक 2022-23 में दनातर ( प्रवाम वर्ष - प्रवाम एवं हिलीय सेमेस्ट(7) हिलीय लगा हलीय वर्ष) सर्व स्तालोजात् (-and Greec) 3 GALF Jan and July 42/21-ARC( COMT ATICT) BI STO 2003 & Favor MANT

राष्ट्रा 2005 में से 427 92 रव03 (31) द्वी तेल्यु उत्तरि toos (a) त्रि रेग प्रे रखा (त) - मेर होग 3774 R-AINS JOHN OU (JUIN CALEST) र्त्वाल्ड) र प्रवाम एवं रूरीय सेमेट्टर TGE1201 2022 STE स्क्रा प्रायोगि प्रवास Tento ACUTE -Hquel 2022 CI JIST Epit राषा हिनीय एवं - राष्ट्र लेमहरा की एने आर्फ - मई झाह 2023 राषा प्रायोगिड परीर अप्रेल- झाह डे प्रवाम हिनीय स्वताह की प्राप्त YAR प्रायोगेड परीसा EDD 1 ad (zzaza) (saly र्नात्र प्रथम pa स्तोध वर्ष- वावींड प्राह् 1 71 20237 प्रांत्र होगी राखा प्रायोग्गेड 927201 1 yrat Ì 20 35951 NO OT WI STAN (56) x-1123 4 Jan al (22049) fonts ENT वर्ष हे विद्यादिमी हरू Va remy y a 7 ~ 1 30 Va पुनगान् की पाछला नियामें REJEN भूरपूर्व विद्याबी Tur Ept विद्यार्थी 218 नियम लाग्र 9K 6777/ 781 नात्म yay al (gam + Isming chaled) रनाल्डेल्ल रूल UK grandingo विष्वविच्छालम् डुउ VIdello 3 रम्बो /द्ये अल्यादा कु भारता समाए विया जाग 3 8-1 210/0) 01/4 2149 120190 नियमार्डाता SAC पुरिनेडी गती ही की हामानी के प्रमिशायी OD) UCOD JIC 201 58) 2-11/3/2 22 41 41 41 41 g/ el/ of yIAN Nall म्राष्ट्रत प्रा शावीयो 3) प्रेश्वाधीम पर 3 46 CPX ME ESTI

की स्मालको र दल पट समेरट परसित्तों में आगरिष 20 319 होगा रिवसानीय सामितिलि का निर्धारम विभागाव्यहा हे अनुसा हो सम्हा ह 60 210 2022-23 27 K-1123 /Srity a KNY ald f 9 Ag 2 STAR3 2 (21)00 00 - UIAQIO ETT/ 1 447 31123 24 21/00 05) STIGHIL 10% NOI/ 1 447 31123 24 2100 05) STIGHIL 10% NOI/ 14पाम जाराष्ट्र द्वारा के साम भाषा प्रति होगा डिगोगरिड मुल्याक परस्ति के प्रति भाषा दे प्रति में किंदागिर हो मुल्याक परस्ति के प्रति में जिंदागिर हो उक्त जिया स्थ 2022-23 में प्रभावशील रहा / उक्त जिया रहा / 61 Ala 2022-23 & KAINS FORTY PO' MANY and 3 (1) सम 2022-23 में रिनाम्ड कि मिन्नागाख्यम हार् क्वामरिड वर्ताशा निवयवा संखाखित निमागाख्यम हार रवामी घरासा एडा पढ डे जिपशावुमा किया जावेगा / रवामी घरासा एडा पढ डे जिपशावुमा किया जावेगा / प्रति युवन के पूरे पांच इकार रहे पुद्रन पुखे जाये हे रिनमाइनमेंट डे पुद्रन पूर्व रुया ठठर रवरासी परिशा राम्रा में अभा करने हैं उपरान्त पर्सिशा छर्वरी माह में लिये खायेगे लिसेड उपरांग छोड़ त्राच हे प्रयम दर्दाह तड सम्दन विझाग उत्त जिसा करा लिया जायेगा / 62) अंतरिङ परीक्षा प्रदन पर का प्राप्त्य मुरुष परीक्षा के समान डोगा / सर्वाचेर विमागान्ध्यका रुवज्ञाली प्रीमा विमाग के उर्ग प्राद्येग है साथ झेंड भरते हेतु Foil (ounter foil Zdallet - 4784 Datas 2) 14 कर सम्रेग है। 3 रनालकोला के दानी दोनेस्ट के प्रसिद्धा का संद स्रत्येड प्रवन पर का 100 भेंड का रहेगा जिन्हों 80% शेक स्रव्य प्रसन्ना रुखा 20% अंड जान्नरिड स्रत्यांड का रहेगा !

52 OGCF/CBCS/LOCF- RICENT PARE FAR 2020 पर आखारित पाढ्यकुष दनालड समेटल परीस्ता छे छिए नियम निक ह () रताल्य प्रस्ता के हाक्तिलित होने हतु अद्याविद्यालय / विद्याविद्यालय हे रनम्माहुसा यवेश लेना होगा जिसके विभिन्न विद्योग का-ह्यय अग्निवाय ही मार्गवार्भ (1) द्वार को जिवसीम डिगी हेल कार्यान प्रवास समस्य के हठवें समस्य की प्रसिद्धाओं को रमिल्लाप्रवें उत्मेर कुछि हर काम्राउतम सीमा 6 00 21 (11) रनाला की सत्या रनेमेंस्ट प्रतिशा में आवीक्यू-ATKT (Allowed To keep term) STATIL OF A BATERS (QUAL DIA दिया द्वायतीय होने यह उसे उस रोमेर्ट 312/10/ 21101 511411/ (10) हेके हार जो दिसी वेमेस्ट में अन्नु रीही इये है वे ह्याग छात्रा अत्यप्र के रत्य में परीशा देवार उत्तीर्वा होने के अपनेत्र अगली र्यमेरंटट में प्रवेश ले- स्तुरे (V) क्रिमेस्टर ATET Exam Odd/ Even (मग/विषम) 421 पर आधारेन् होगा अव्यन प्रवास रुगीव रखा पंचम समेहरा का मराष्ट्र होड आगल प्रवाम, त्रीय या पंचम सेमेरेट हे साथ एवं क्रिय, चतुर्ध रखा प्रख्म रोमेट्ट का ATKT 613 क्राले हितीय, चतुर्ध एवं ध्रायम 3 FIRE EDTIT (1) खिली किसावी को लेमेहर के सभी विद्या - Juis à fait. カ -2747 हितान कार्ज कार्जवार्थ होगा / जेग 13 OFTEN.

प्रसा (मुरूष प्रशा) रूखा आंगरिङ मूल्यांडन छे डल योग (रम्बयी) मिल्याक ( 33) अंड होना साहिए/ (vii) यदि कोई ह्या आगरें सत्योंछन ! आसाइनमेंट में अतुपात्तिये हैं तो प्राप्तांड हे कालम में म महान अतुपात्तिये लिखा जाएगा ! (viii) Grove Marks ( क्रुवोर्नीर्ट, डांड) विद्यतिस्विलिष दे नियमाद्रसा ( लाग्र होगा। (ix) दोमेर्स्स परीहा में लाख्य परीहा 80% तथा आगरिड म्रल्यांडें, 20% डोड पा झाबारिल होगा न्निसम कांगरिड प्रस्था था म्रल्यांडेंन टा-2 डेर्न्सम् कांगरिड प्रस्था था म्रल्यांडेन टा-1 एवं टा-2 डेर्न्सम् à ent (X) याद छोई छाङ प्रयम एवं किसीय दीना समेस्ट( में आतुर्गान को होगा है तो उसे त्यावर देमोस्ल में पुरेश मही दिया आयेगा / यह आगल मूल में प्रवेश मही दिया आयेगा / यह आगल मूल मिर्जाप प्रव ह्वूब्य (अर्ट्यूव) छे राप में प्रवाम म्यं हिर्जाप र्ज्ञान्स्टार छी प्रीड़ार में साम्मीलिन होगा। भ (\* 213 Gill lazitat of jair pa' levia dotec A di di mais Back log Paper et al) (Xi) याद कोई हराम दिलमा दनालड के प्रधाम दो सेमेरट( (I& I) रूठी करेंद्र महाविधालय चोरना है तो MEP2020 के नियमानुसा विद्यार्थी की मांग पट प्रहाविशालय के ए नियमानुसा स्विधाया की मांग पर महाविश्वालय के स्वीन्हार के पृथ्याया की मांग पर महाविश्वालय के प्रिय के पृथ्यार्थ विश्वविद्यालय हैरा रनात्य स्वरिप्रिय प्रिय कार्यना कांगा जिसके लिय ये आवश्यक 48 केंद्र कार्यन करना होगा जिन्द्र वसी प्रकार कार्य के लोगाला चार सेमेहर्स (I से IV) त्य 20 करना है त्या हरने के मांगा होगा लेखा तेम यहात्य करना है त्या हरने के मांगा होगा लेखा तेम वर्षात्य हारा स्नात्य डिलोमा की मांगा होगा लेखा तेम वर्षात्य हारा स्नात्य डिलोमा की मांगा होगा लेखा तेम वर्षात्य हारा स्नात्य डिलोमा की मांगा होगा लेखा तेम वर्षात्य हो हिंदा प्र पाढ्यक्रम 201 करते पर हनात्य दिशी प्रयान किया ज्यायेगा उपरोक्त नियम Multiple हरोन र Multiple हत्या ही आवान है लेखा NEP 2020 के नियमा 3ागा ही.

Landa GIELL चरि 87 CUTN FT Jaz 24 TOND ael Eld Eldi ET) QD ato 12/191 QQ LGPA 7-5 BILEN SAY 211 81/2/3 EIST Toznar BI 8716 HAGEL Rund 1527 REd Honoras UK 211 BRA 71 150 Ee6 XID EN NB EETS ATKT @61 3777 a 904 (13,21 2114 dE 9,0121: FACTY/ 9) ast 31/ce/sN37 りょ 71 4 (i) (in) Pa (v) 85413 100-3 87341 GAEEC EE6 2E 42131 र्ड) 20 211Jan लेखिन परिगाम Agol 2001 192 NB Bab 19 cen 14271 019 205 री पॉन्ड 057 4m DOUT 414 42731 dal 3/1 49 de FIST NT 919 927 30 Ell 6) ED 2011 Q 961 NY -201 IS-IT 036 NREA 014 Lolling 114311 410) An Arelian Relies & Taxatazinan 37 3 Regulation छ छ पालन 2149 Ordinance, or gon. 1321 HAT 17014 40 2022-66 342190 elint 017 Por 4 Autonomous Exams PRINCI GOVT. DIGVIJAY COLLEGE GOVT. DIGVIJAY COL **RAJNANDGAON (C.G.)** RAJNANDGAON (C.G.)

233 2:112 22/08/2022 317 Tana 22/08/2022 31 razient 42/20 प्रकोर्ट की शाली निकाम की वैद्रि में मुबह १ वर्ज से आयोगना की गयी BIGH EN 90/06 ZIGE-2 34/Figh RE 1-100 200 B Bar D डा. सहला क्हारियां, (UGC नामिन) 2) डोंग चारन एनन सिंह (याच्या माला) नामिर)-- 22/08/22 3 डाँ हमलता महोबे (बिट्यापिय) द) भीमनि क्वारदा लिवारी (समाज सेवी) डांग् १नः एत. आच्या (विझागान्वन कामपी) -ि डाँ के के देवांग5 ( ICAC संयोजक) -= र्डाः संझना ठाबुर (नियंग्रड, स्वज्ञानी परीष्टा प्रेकि. Serve STO BILT HILEZAI (Bean, Scien faulty) - Anal क डाः हेनेन साव (इग. नियंग्रेड) (q) र्डा० एस. छे. उर्डे ( सहायक निर्मा अ) (10) श्री गोर्ड्स राम निषाउ ( सहामक नियेन्ड) (f)aishul

आती निष्ठाय की जेवठ में अहाविया लग 3 प्रायाम सामग मानगा का जा हाग सकी आत्मियों का उंग्ले के एसई टार्डको छाग सकी आत्मियों का रवाग न कीया गया तरपट्यात विश्वात वर्ष के चारपाल त्रिपोर्ट का ठाउ मोए कराया गया स्वा सकी सप्रियों को ३म वर्ष सम्र 2022-23 H FATCE JUNION & (CBCS/LOCF/NEP. 2070. में सिलंच में जानकारी लगम दीने नाल दार्स हे जारे के जानकारी दी गई। रात भागपात दारा लिये जेम निर्णाम जिल्ला कि 12 Turne Saulte (1) बीहाणिड राज 2022-23 में रनार्खा स्नारकोना प्रधाम वर्ष में युवेश हमचंद सादव विवयति यालग उर्ग छे वेव पोर्टल हारा झांतलाईन आविर्ग छे माद्यम से प्रवेश दिया जा २६/ ६/ स्नारड रिलीय एवं ललीय वर्ष तथा रनाल्डोन हिलीय वर्ष ठे उद्याओं मे प्रेग अर्धावद्यालय वेल पोर्ट्ल 3 मादयम ले दिए जाया ही से 2022-23 में ह्यालेड हल्ट पट NEP 2020 3 जन्मार 04 वर्षीय पाइयक्रम डे सप्यम लेमेहत में ख़तेचा चिया आ 2हा ही (2) मिन्द्रा परिखर् डे प्रत्यावीं की अनुमामन कि स्मान्ड GAC AL CBCS/LOEF AREA YOUR AND OGG Galai A - 300 APT PONPT खि द स्ववा में - 3 रुग गिषागि हिलीसगढ़ गायन करातियालयों में NEP 2020 'डे योगर्जन रनालं प्रयम कर्व में सेमेस्टर एवं CBIS/ LOCF पाष्यक्रम लाग्द करों का मिण्या लिया गया है। इसी द्वम में महावियालय में जी लाग्द स्वा पा द व्यक्ति दिसी पाष्यक्रम लाग्द दिया जा रहा ही विभिन्न विययों के पाष्यक्रम लेगा 31 आह्यमंड मंडल से आदमाइड लिया जग JOI ET

3) 34210 alle 4937 31 Multiple Exit and Multiple Eway as option EPIT (1) 01 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रवास एवं हित्रीप सेमेटर) पूर्व कोने पर विद्यावी को साटीकेट कोर्स की GIDAT EXAL (1) 02 वर्षीय पाह्यक्रम (अयम से चल्द्य सेमेरर) पूर्वा करने पट विद्यावी को छिट्योमा कोई की पाञ्चता होगी। (11) 03 वर्षीय 416 रेक्रम ( प्रथम से खरेने सेमेस्ट) प्रठी कुर्फ पर विद्यार्थी को छिन्नी कोई की पार्वना EISTA1 (V) 04 वर्षीय पार्वप्रम (प्रवास रेन आहते सेमेरूट) रही कुछि घट विद्याव्यी की आनर्स 15की या 15 की पितक abile of 41er eight 4) महाविष्यालय में 02 प्रकार हे रनाल्डोन्स कोर्स संगालित होंगे (i) of adter Concorned ( 916297 (04 adter Is Deal toural à Ter) उपरोक्त निर्णम् अवादमिउ परिषट् डारा अनुमोद्रि दिया गमा है। 5) पाहभुषु समिति डारा प्रत्यावित पाह्यकेम 3137155 - 415497 GART OKT 18 (123) AC 24 दनात्म पार्ष्य का अनुमादिन वरा लिया गया ह साम & 2 पी. जी. डिब्बेमा २ डिब्बेमा एवं 4 (उआन कार्स, 18 वल्यूएटेड सार्टिफेडेट पाद्यक्रम छे पाद्यक्रमों का पाद्यद्रम सामान डारा अनुमोदन छर्रा लिया अपां ठा

की एं, की एसकी, की काम एवं की की ए प्रयम वर्ष ( प्राव्यम एवं किरीय सेमेस्टर) के अख्या 2007-पा6यक्षम आख्यम् जेंडल छारा आउमी हिर खरा Ter 21 5121 61 किनीय एवं स्तीय वर्ष (Old Course), हेअन्देव यादव विश्वविद्यालय 35 छ पाद्यक्रम दे केंद्र सार संसालित होगा / (8) 2-7/NJ (NEW CBIS (OURSE) years pa हिलीय असेटल में यमविर्ण काह्यमंग (Environmenter studies) & STINRS ZMIAN धार सोजेव-2 के २०५ में सोक्सि डिया गया है। जिनके अंगर्गत ह्यार आसपाद के रोग भे जोगों को पर्मावरग, क्या, हेल जागरा अते ह निमको क्लाग रही है पार्वद स्परपंच, धीई सो साद से प्रमागित उराहे धीनेवट जमा खरें ही योजेक्ट ढाय में रनाला रूट पा रम्योहा देखानीय मांग को देखने हुए विसा गाया ही जोजेक्ट दाय में 10 घोटे का काय 05रना झानवाय है। 9) हेनन्वेद याहन विश्ववाग्रियालय हे पत्र इमांड 448/ परीशा/2017 32 19/07/2017 3 अनुसार अहाविद्यालय में आहम्ममरल रनाला Barry vo anter at (Old Course) à celar हा आमा हर माह पितम्ब (जनारह) के आर्था के मार्थित म्रित्यांग्रेज प्रतिशा का आयोजन विया जाना आवश्यन ही आलेरिड म्रेल्यांग्रेज परीशा की यन वार्विड परीशा के आउ में जोरा जाना है जिसमें आंतरि जीवी के अंड में जोरा जाना है जिसमें आंगरिउ म्रत्यांउठ का डोड 10 प्रत्यित तथा। मुरब्य प्रतिहा का डोड 90 प्रत्यित होगा। जो नियाकी आनुपाल्विन रहेगे उनका मुल्यांउन देवल 907. में ही होगा। 30न पारवर्तन की समापोजित करेंग हुमें (नात्य प्रसिंग लम्भे छ रहि

आंतरिङ सूल्यांडन परीशा है मत्येड प्रम पत्र है साहित्यम आंड वही होंगे जो मुख्य 4ART Z AESTRA ET (0) ZATING (New CBCS COURSE) 77 80% 813 End semester Exam 20%. 313 Internet Exam EPTT 1 212 ZAACE 02 Internel Exam EDTT 1. II) AT: A. P. 194 and & to enell, Igut atte at प्रीशा प्रवास वर्ष (प्रवास / हिनीप लेमेस्ट) की प्रीशा के साखा देना आनुवाम होगा। उक्त नियम सब 2022-23 में भी प्रजावशील रहेगा! (2) परीक्षा कामलि हे यत्मावों का अनुमोइन -र्समार परीशा आवेदन पत्र आन- ट्याइन जाब्यम रेन अहाविसालय हे चोर्टल से भरे आएंगे। 3 ATTI 2022-23 21 KATING ( JULY ad - YUAT PO BATY ATREC, PSAM cour NNY at 29 स्नालकोत्तर ( सारो देन्नेस्टर) के समर्थत प्रता को। ( मुख्य प्रसिश्चा + स्वित्तेस्टर + वार्षिक + ATKT) को लीग कोर्ग रवर्डों में लिया आयेगा / प्रवन पर की तर्वा में रवण्ड अ (आते लघुउन्तरीय) रवण्ड वर (लघुउन्तरीय) Ra raos & ( fres sonty e)) (4) हनालड प्रथम वर्ष ( प्रथम समेल्ल) तथा रनालडोन्न अवाम एवं त्रतीय सेमेरला नवम्या - रिसम्बर 2022 माह तथा प्रामागिङ प्रयम - रिजीम सराह नवम्बा 2022 स्त्रम हाजी जला हिनीय एवं स्त्रम सेमेंटा की परेशि अप्रैल माह हे प्रयम- किरीप स्ट्राह 2023 रेने प्रारंभ होगी। रिताता प्रथम वर्ष (मरपूर) हित्रीप एवं तरीप कर वार्विड धूरीहा न मार्च 2023 से प्रारम होती त्यां प्रायोगिड - एरेड्रा न प्रत्वरी से 20 प्रत्वरी लड करा की 15) 27103 right

(6) रनाला रत्तर पर प्रवाम वर्ध (अल्पूर्व), हिलीव-एवं तलीय वर्ध के नियायित्रों छेन्दु प्रनेम्रत्योखन एवं पुनर्गालना की बाजरा नियमित विद्याप्ती रूपा भूतपूर्व विच्यावी हेरू होगी। प्रद विद्यावी पर यह-निमम ल्या नहीं होगा। ) रूनार्स्ड प्रथम वर्ष (प्रथम + हिर्माप सेमेस्टा) तथा स्वान स्तालको र स्तर पर पुनर्मुल्यांकुन का प्रावदान ( हमचेद आदव वित्रवाविश्वालय हरी के संस्नोचिर मुख्यारेवा 3 उत्तुपार समाफ दिमा आग ही पुर्नगणनां डे व्याह हेमन्तेद यादन विश्वविद्यालय दु निममानुसाट अन्त-पुर्हिन्डा की ह्यायाप्रात्र परीहांगि 3) 2410 8 Mint ET (8) रूनाल्डोल ( स्तर पर प्रनेगागन की पामना नियमिन रावा भूतपूर्व प्रीशायीयों को ही होगी | सार्र के प्रीझावायों घट यह नियम व्यय नही होगा। छि रनामग्रेज , रग पर समेरत परीष्ट्राओं में आगरिड मूल्यांड 20 आंड का होगा जिस्ता गणना निर्णारुमा ( डिया अस्पिंगा न -> CT-1 19 CT-2 2013 10 313 OT EDIT 1 ) सन् 2022-23 में रनात्म हिंगीय व त्रतीय वर्ष हो प्रसिद्ध में आंगरें सत्यांठन का पावद्यान होगा जिसमें आंगरें मत्यां केन का आदि आ 10% जया मुल्यों प्री हा का आह्य मात 90% होगा / आंगरिड मुल्यों प्रिशा 3 प्रत्ये प्रत पद्ध उ त्राह्य उत्पन्न देखे वही होगे जो मुख्य प्रीशा में जिल्लारिज हो 39-7 नियम स्र 2022-23 में प्रभावर्मित रहेगा! ) रात्र 2022-23 में रतालंड हिनीय एवं त्रीय वर्ष के झांतरिड प्रसिद्धा विषयवा( संवोधित विश्वागाव्यहा ठाटा स्वशासी प्रसिद्धा प्रवेषित डे निर्देशानुसां लिया स्वेगा ]

आंतरि मूल्यांवन अलाईनमेंट तथा टा जिलमें 50% CT (Class Test) + 50% Assignment & 194 of लिया जायगा 1 प्रतेषु प्रत पेन देन प्रत यान इडाई देन प्रमण पुरू जायेगे। इतसाइनमेट के प्रमण पूर्ण निया का रूवबाली प्रसि में जमा कठि के उपरांत प्रसि खरवरी आह में लिये पायेंगे जिसके उपरांत 313 मान्य छ प्रथम समाह लड समहत विभाग छारा AM OST PORT STENT! 22) 311223 929 920 92 001 9149 5201 प्राह्ता हे समाई होगा / संवाद्य विभागाह्य ह रवशोसी वरीशा विद्यांग दे उन्गर प्रान्नि हो दाप्य 312 723 En foil/ counter foil Lazith yeld JODOG A JID JE CROWEN 23) रना लो ले दानी समेरत के परीक्षा का संब पुत्येड प्रत पत्र का रहगा जिसमें 80% झंड HLON UNTER NUT 201, 313 311/25 Acuiso OF 2611/ 24) UGCF/CBCS/LOCF - 216214 AREIT ATTA 2020 at आबारित पाठ्यक्रम रनाम्ड सेमस्ट परीता दे लिये नियम निक है-(1) रनात्म परीशा में लाम्भिलेन होने हेनु सहाविषालम् । विश्वविद्यालम् दे नियमार्डसार् प्रवेश लेना होगा जिसेड विभिन्न विश्वयां का न्यमन अनिवाम है। (1) द्वात्र को जिवसीय डियी हेन अप्यति प्रवाम समेरल से हत्वें समेरेस्ट की परीसाओं को सफल्लाप्रवर्ड उत्तरि करेंच हेन्द्र आह्यदन्य सीमा 6 agel (iii) & AIKT (Allowed to Keep term)

दिया आयेगा। दो से आच्छेड विक्य/को से आडुनी ही होने यह उसे समेहत्व में आडुनी साम आयगा। हार जो दियी लेगेटना में महलीक S हार्ग हार्ग भूमव 3 रन्म के धरीसा उत्तीर्ग 3 उपराज हाराजी लगला Sarl प्रेम के स्मे ह (V) GALL ATKT Exam Odd/Even (GH/ 1944) 429 UL MILLA EDIT Main yeur, Mall Vo Len GALLE ATICT 613 3170 yait त्मीय या पंचम लेमेट्न के साथ एवं डिलीय, - राज्य तथा प्रधान समेहा का मनादन 63 आगले हिलीप, राज्य एवं धरुल 3 साथ ह 3 GIAI EVIT (vi) दिसी विद्यार्थी को देश्रेस्ट उ सभी विषय/ कोर्स में प्रत्येत के लिये - म्रनरम क्रिणं, आंड अर्जिन छरना अत्रियाम होगा। जो छि व्याध्य प्रीता (मर्स्य प्रिशा) तथा आंतरिंड म्ल्यांडन डे इल मोग) (संन्यमी) मिलाड क्रिडे होना न्याहिये। (VII) 2295 कोई छार आंगरिड मल्मांड / फासाइनमेंट में केर्द्रास्टियों हे तो प्रायोंड डे डॉलम में "AB" martin Parai signit (VIII) Grace Manes ( 201 20 33) to 2010 21 024 3 नियमानुसा द्यार दागा ! समिति प्रसिद्ध में ब्लब्द प्रीस 80%. Nall आंतरिंड म्रेल्यांडेड 201 खंडे या आब्मारिन होगा जितमें आंगरिंड परीशा म्रेल्यांडेड CT-1 र्ष (T-2 3 TAY & EPIT / (x) यदि छोई हराय प्रयम एवं डिरीय दोनो रोमेर्टर में आबुलीका होगा है तो छेवे जीसरे

Date : समहत में प्रवेश नहीं दिया आएगा। aE छात्र (भूनपुव) छे 44 F yalt 69 He 49 महर की परीक्ष में लोक्तिल 15 Th दिसी विद्यार्थी का प्रवास एवं हिलीम लेमेस्ट Bitters Backlog Paper Stat) 27 कोई हार/ हार्या दनालई के प्रवास (xi) 219 (I & II) प्रती दुट्टे महाविद्यालय EPTSNI NEP 2020 3 TAYAI 3HIL TARIAT माग यह अहाविशालय के स्वीन्दरि a AZATAZIAZ SIKT EALAS ATETUSZ 9415 B21 जावेगा जिसेड लिये उसे आवायड 48 \$BZ abral EISIT 613 3AT YOUT 81157~ 46 ADITAL CALL CARES (7 CH IV) 201 32NE NI EELS & FIN 3 30TELL UL 19291921 M21 SICT र्सान्ड डिलिमां की पाछला होगी लया में वर्षीय (I & II) याद्य के प्रती प्रती कारे या स्नालन 13251 9411 BUILDI SURIAN TANT Multiple Exit & Multiple Entry & stats & dul NEP2020 के नियमाउसा ( ह स्तानव समस्त अव्यात् न्याय alt ENDI ETTI CID ETT 15793) NM 81127N (GPA 7.5 21 294 051 8710/3 d41 ता एक विद्यार्थी को छाठ समेहत सम्वन्य ETIT got and up Honours Best 21 Refer Ison and UNDET GINTI 3) (xii) 66 GAREL NS, END ATET 0.6) 811-1 Mart E 214 26 8931: म्रत्मेड लेगेरूग Inleight यो विषय/कोम 143 211 H ATKJ रो विन्दु हमांड (1) (11) बह हट सेमेल्ट की पर ENI Pq (iv) 813(711 ULISTI 21 21112 HARTE, QUE TIRONH a Not N3 ATIM JA NO B DE MEDT AAEEC Mails (प्रथम से वॉन्द) ही सकी प्रिद्याओं की वाल नहीं ठा 122

मिल्लेस सामी समेल्ल परीमाओं छा लामा है, आगिम परिगाम तारीय छा टनालउ डिओ जारीय छे दन्म में भाग आमिगा . stat at Acer को जो परिष् ally e114011 anto sol 421 2 202130 Rules & Regulations हमन्द्र भाषत क्रिवी हाल्य उग 514 Exam Ordinance as Elles? yorr. JAIAM 1 GUT 26.07.2022 37 37121157 16013 की कोंडर में निर्धाय लिये गये आसी निर्धाय कार्य कार्यगाउन हुई 3001 आहित संशोधन दे साक करते 31 19014 J 12 50 8 -. 2121 12211 27 2019-20 & yxt ar 2300 7 13 at yan al aFHIS - 57 2/3 कोई खोह र्ष 419211 2303 परिष्ट्रम की देखने हुमे 37/12)5 मे 150= 00 ( एउ ली क्यास रायमे करते का निर्णाय लिया जाया है जो Fron 3HI QAHIS ZLOG 87 2309 BER 49 वी.एमती-2,3 (वार्षि) 1080=00 930=00 बी: एव. भी न (सेमेस्ट्र) 1080=00 बी. कांभ-2,3 (वाणिड) 880=12 1080=00 वी. जाम - 1 (तेमेस्टट) 1080 = 00 A. P. 2,3 ( dig3) 1080 = 6 930=6 बी. ए. 1 ( सेमेस्टा) 1080=0 डी. ली. ए. 23 (वार्षिड) 1630-00 1480=60 बी: ली. ए.- 1 (मेमेरटा) 1630=00 जित्र स्ट्रेट्र M.Sc. (Computer Science 930 1080 = 40 and Elizar()

Date : M. A. (Geography) 930=0 1080=40 M.A/M. Com. 880=60 1030 = 60 1080=10 M.S.W 1230 = 60 M.Sc. Cauputer Science 1280=00 1430=00 1080 = 10 1230 = 60 DIA/PGDIA/Tally/Yoga @ रूनात्य (B.A.) में अभगोल विद्यम विद्यावी हेलु Tie 501- (पनास रक) अमिरिवन रहत्व देय होगा। 5 PG हे कहा में बिदी विषय में यदि छोजेकर ठा प्रावंखाई है असेक परीक्षा अड्र में 2001- (दो मा 2-44) अग्निरिक्त 23-3 देव होगा। C ATAT Add-on-course of until 25-05 H 2501-(दोसी रूप्ये) निर्वारित किया गयाहा. (1) रतातंड ल्वन रतात्री ही हिये विखेक राज्य निर्धासि अंग्रेम तिथि से आगामी एउ सार्याह तड 200 = 20 (दोर्सी रूपये) तथा उसेडे प्रत्यात् 500=0 (पॉन्ड सी 444) प्रति रिवस होगा) (iii) yzg deul ATKT ST UTEIT azong 650= 10 4-44 F रेने 750 = 6 ( सार भी पन्सान रन्यये) कहि का निर्वाय लियां गया। प्रात्मित्रनल उपाद्धी ३३०७ १००=० (ती नम्प्रे) होगा। (iv) Duplicate Admit Card and Along 20 = 00 (all thuy) wall Duplicate Marksheet of 25mg 2402 of NE 200= (4) ET 244) 81 LENT (1) परीका 3 कोपनीय कार्म से बाहर जोई ( स्वयामी) परीहा नियंग्रे भा कन्य सदस्य पा प्रान्यार्स छि २१४ छा वर्षा कर्ड की आउआता ust stal ales at zanaty 96 46 ×11-29 EPII

(VI) Externul Examiner NUT 37-4 554 3 Fait attee 29 3110 ator Starligi & T-A. Nait D.A. (21195 6121 04122 91 2 8190 2012 3 BINGHIL T.A. 10 19 212 Bersher 404 3 gils it well Tapy as in 42 12 35 gir 21 14 70 प्रति छिल्मे मीटर - नियम के 10 3 उन्द्रसार तपा होटल में छहरने पर होटल छिराया शामा ही यह यह भान्य खागा उपगवन सनी 4[ 212H3 3 TOUMIZHI E/ Extenses gg-813412 3719243 61 (vii) हनाता छान्न ( (सकी समेस्ट) एक 2016-17 से परीय अर्थ की पारंप में परिवर्तन दिया गणा है प्रम पर रोक रवार्टी में विद्यातिन होगे। वर्ष 2022-23 से रमालड प्रधान वर्ष (प्रधान एवं हिलीय सेमेस्ट) में प्राह्म प्रदे प्र दी दूवठडों में विझाजित होगा तथा रनात्व (वादि) प्रयम, छिलीय एवं नूलीय वर्ष प्रह 49 Fer 2016-17 3 arang 3 marry rem अव्यम, हिलीय एवं रहलीय वर्ष एवं डिल्लेग पाइयक्रम प्रसिद्धा प्रदेश पत्र स्मारंग का मारेशाने 900 = 10 (नी सामप्रे) एवं डिज्यमा घाढ्यक्रम प्रस्था प्रिश् पर रगेरेंग का पारिङामें 900 = 6 (गा सी 2244) Va CHINDIM ( ADELE YART 425 पत्र दर्गिया का पारिशमिड 1800 = = (13 हजात काह मा रूप्य) राषा दासलेसन - वाम 200= 6 (4) (1 4144) JAN J20 49 AC 2011 (Viii) - परम्हि उर्गरशीट मूल्यांडे स्तालं स्ता हेल 15= 40 (4=5E Knq4) Neur Kning) NC ENC TE 25= 10 ( 4- ज्याम् काप्य) मारे द्रीट किंदारिग द्रिया गया  $\frac{e}{200} = \frac{1}{200} \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{200} + \frac{1}$ 

(Porc .] 2112) (4129173) (112= ~ (01/2) रूपय) प्रारं प्रीमार्थी एगेन की पी एवं रनात छोना (सार पर 15= 40 (प- रह रूपये) जूनि परीक्षाव्यी 1975 कापी ל ) הרוב לוגורא בתורא בתורצי ונטת पान्द्र ला TOP 1-44 ( 500 = 00) TACUTRE 1321 7/21 प्रोजेक्ट म्रूथोंडन एवं सारिवेड प्रशि प्रार्थमें 120= 6 (13 मा जीस रूप्ये) प्रार्थ प्राजेक्ट निद्धारित (उगा गयांही यह सामी जाख्य पर्य कार्रास्ड परीसड योगों पर लाग होगे / 0×~2/1930 7 3/8 winter elas Nall SOD = 00 21121 (uter al 4744) à sites a) 21181 ar (Nos GINAIN) TDS BEWI SIGNI SING छारा जायेगा। वाद्य का 274 201210 चेड / शानव्यर्ड ठारा भूगमा हिभा जायेगा ! 223 (a 2 for 2100 / y for 10) (D) 001 63 97 010 97010 (34) Ulizeimz 271213 1941 SIT GARIE. X) 500=10( पांस सी 1, परे) रति विसाम वार्थिङ (right + arissis) 912995 90 0221 2112 Tour stor gentanel 500 = 00 ( पर क्यम) के आवाउ ट्यम होरे ही स्तितिकन व्यथ हेरे प्रचाम की प्रवाद मार्ग 819225 51 (xi) AT 2022-23 ET 10 (QG) Minor Rescuely preject ( The shire Julian) ET JULES D 50,000 = 4 (प्रयास हजार कार्य) आगा हा २९ हेनु निव्हारित प्रास्तप देने पर जिमोधज्ञ सामोति डारा चयन् क निर्वारित ७४। मे VUIJON HAP 42-21N MRP को न्यूया जायेगा, यह झोनेकर व्यक्तिग संयुक्त रूप से डिया जा सकरा ही विक्रोध स्थिति में अछादमिड/ स्वयासी निष्ठाप की 21 Virtey

रवीहार अनुहामा पट विवोषम के तिपोर BITCHIC UC 314 @ 61241 ( 6121241 JI HISTE उक्त वात्रि का त्या एकट के निवासिर मंदों में दिया जाना सुनिष्टिन करेंगे | [6] Sasa CHIZONI MON EN TICHE LATION & (XII) Tand 5000 = a (UI-A ESIT 2, 44) 43 8 3732141 61 2122) 46 21121 3901 021/202115 NOUT GHEST PORTON & TAIDA 3 1024 61 (XIII) Rescues front (Reto 32) & yours on -022 (02116) विभाग 27 कोठे का निर्णम लिया गया है स्काराइ त्यय निविदा पट आदारित होगारी-Plagionson Software tattes En 1,80,000= (P3 cerea sicol Estic 1,44) at 2112) रबीडा की गई है। निविश कड़वार कडापमिउ तबा आसी जिजाम ने हब्मे देश किद्रशंमा पर राशि ध्रथ्या आ वहामा ज्या सहता ह (Xiv) & qaller 4 21 198111 31 13204/ 223 3~C. द्राह्मडा, कोई मुझी, परीहा लंबंधी सभी पृथ्य 3 गुड्ग की साबी को त्यम स्वरासी निमाग 3 लिय स्टेबानरी, टेलीफोड बिल, विमब्द बिल greaters riser (Board of Studies) Paris STRT आयोजित समान केंटले की TALDA गोपनीय कार्य त्यय सायरवया त्रेंटनेष, छिटी रजिहटात विश्वविद्यालय, प्रान्धाय तथा नियंत्र इस्टेर्स्टी में हाताश (2=0 - तो रत्पेय अगि यांड रहनी) आहि सभी धाय आवराख्यानुसा हि० गठ रास, ९४ नियमानुपा दिने आगे) AU 2022-23 dry 10 (GA) XIGG14 AAAAI (XV) १९२१मा अगत) प्रतापित है प्रापेड पर फाव्येडतम् 50,000 = ~ ( पत्ताप ट्यार द्वप्ये ) गड इगारा राष्ट्र द्वहार्सी प्रसित अद रन ट्यम छरते छी र्शारी टंग्रम

अनुवांसा की गई। साथ ही उलीक सन्दरि ज्यात प्रस्तावित है प्रदेश द्मभीना 052141 1,00,000 = w ( (13 214 2444) 3119/307 Lagella Utilgine 376 ठीरे विमाग आनलारन - )' वेवारिता ( वाद्यीय / अन्म्याद्यीय かしつ UC है तो २५ हेरु २एइम् OXINI WIEN Dortall 31 Reparty 5000= ~ (414 EMIZ 2044 गया जन्मर्स्ट्रीय तेकीना के लिए Sterdow H 10000 = 00 ( विष हआर राष्य) प्रया करे की हानुराम) की रहि (XVI) 290 2022-23 Erg 3 012/2110/ (2102/2) ENC कराया जाना पटनावित ही प्रायंड uc 3 50,000=~ ( प्रयास हमार रन्पये) अच्छिलम् 02121 निर्धारित किया गया। वर्चुवल कार्यशाल En 10,000 = ~ ( ( ( ( モヨ ( イロリ) (222) あ) あ) あ) あ) (Xvii) महाविद्यालय के अखावी नियार्षियों, खिलाडियों का विश्वोध सोटलाहन देने हैं नगद/पढ़ा/ प्रमांग प्र आदि से प्रोटलाहर करने की अनुशंसा की जहीं रिष्ठारियों को दिन्हा राज्य ही टीम अतिनिधित राष्ट्रीय रन्य पर कार्ड पर इन्हे 3000=00 (200 EAU 200) 49 31-2016212 40 000 ac 10000 = 00 ( 64 6ATT 4-44) 01-RILE की जामेगी। वर्षानुसार सांस्कृति जानिवि XVIII) PASTA विद्यादियां की GEATTAI 3 Q1617) Lazito/ G2777 रवरार्षी वित्राग से सोटमाहन राति प्रयम छो 1000= 0 (15 स्मा( रूप्पेम) म्हेरीय वि 500= ~ ( 449 EN 7.44) 2 2129 Tor 300= ~ ( NM ( 1. 1.94) ZIRI 440 -3132191

रिषोर्ट जनमा कुछि पर ही आपकी साबी समामितिन JarA1 (XXVi) त्राहला प्रकोध की वार्षिङ नागिविदा हुनु 5,000 = 60 (पांच हना( रतपष) स्वीष्टर कर्ड की अनुरोला को नहीं। ECO-Club 351 91643 >1799127 Er 10,000=00 (GIT G-YIL KOUY) <9738 363 31 3132141 5) 2121 XXVII) (XXVIII) विषेत्र प्रते प्रते सांहडतिङ जनिविद्यि है लिए पॉन्व प्रांत्य हुआ क्रिये स्वीन्त्र कडि की हानुज्ञाता की जब्दा (XXIX) Literary (lub की वार्षिक मार्तिवादी हते. 2,000=10 (या दमा( द्वप्रे) द्वाह्य कर्ति की अनुमंसा की गर्दी (XXX) AN 2019-20 AT Re-Valuation Fees 200=001 620=~ (Ee! में बीस रूपेंग) श्री अत्र ( प्राह्ने क) दिर्धारित कि गई धी यह निद्धारण सम 2022-23 में भी प्रभावशील इरवेंक का निर्णय लिया गया है] (अल), विनाध, कार्य हेन्दु संयोजड को प्रति Faculty (लल), विनाध, कार्मि) 1000=00 (छ दमार राग्य) छ( शीमा मानेदय दिये जोने का निर्णम लिया भाषा हो। (XXII) स्वर्धासी परीशा विमाग शरा आयोजित केंद्र में भाषीन प्रतेष काहरी स्वरत्य विद्यवविद्यालय। द्वत्तीसगर क्यापत गरा नापित) का 1500 = (13 दन्या पान्य सा राष्ये मानोय द्वीन्द्र दिया गया ही

(XXXIII) प्रीक्षा कोपनीय कार्य के व्याहट जाने पट निय्वंद की बाबि। बिर् प्रत्मेष (जोरिवेभू मन्ग) है दूर में 20122 GUI DMIEL (XXX iv) कि र लामान 3 लप्तम को बिन लामान 3 जैठा में साम्मिकि होने घट 500 - क (पांच मा रूपये) सम्मान राशि सदाय करि की निर्णम हिया आगही (XXXV) Zazital and sono ski zivitor Minor Research Project 3 External Evaluation 313 and External Examiner of Unicolly's 212 21,000 = 65 (13 हमा राष्ट्र) की जानदेय करती स्वीरुत दिया anj el ХХХТІ) महाविद्यालय के स्ली 18 दनात्रकोन्ग तिमाग की प्रत्याही पाद्यक्षम (Value added Contificate (ourse) एन 2022-23 में कराया ज्याना है जिस हैन प्रत्ये प्रत्य वाह्यक पादयक्षम 3 लिए 10,000= (पर द्या ( 44) की शाबी स्वीक्र डिया गया ही (XXXVII) ICAC की नियमित जातिबिधि छे लिए सन 2022-23 हेंदु SO,000 = 00 (पनाए हमा( रनपेय) स्वीकृत कुछ का बिक्रिय लिया गमा है। (XXXVIII) BITTA 14 514 En Badidalica 21 31-21 (eulo पर जोठ हह प्रतिहित 1000-00 (एक सेर क्षेत्र) जोस्तिम सन्ग द्वासकीय ज्यमाव्रसा ( विय जोठ का निर्णय लिया अया ही (XXXIX) to IT A farming SIXT TOFMIN & CIMER Research Paper of Edited book & form 7 publish (proceeding) 3/13 85 3/19/34 निर्णय लिमा भाष हो

(17) 2022-23 Eg altalas pa' 31-3411 and and ab) 37321145 1321 512011 उपरोवन्न सन्ती त्ययों (1) 2000 क्रथ नियम का पालन उननिवाय ही (1) राषी आहरण 3 रहे प्रान्धाय ही उनुमन अनिवाय ही स्वशाली परस्तिविभाग परिगाम 2021-22 की घुमरिश Pà सुझान विया गया रखा टनाम्ड की परीज़ा परिष्याम की समीहा का सुझाव डिया गया) राषा हनात्मा ( अम्ब परीश 2021-22 परिषाम (मर्गी एवं हुन्नादेन हिमा )मा अहयहा की अनुत्रामें से निका विन्ठमों पट अप्यत चर्चा की गई जो निका ह -(1) महाविद्यालय से छोड़ेम डॉल निर्माण allal & CHARTEN H eles WPIN आस्कीप दिन्विमम् महाविद्या लग् राजनां दगां की द्वरासी विभाग की विन्त लमिति की बहु 15/09/20216 3 103 23415 (18) STAT 19115 महाविधालय में सिकीना इस्ट (फर्नन्या एव उपकरन उपला) निर्माता इन् 35, 50,000 = 00 (धैनीष लाख राप्य) की आमी त्यय 055 051 Stazitt of गई 21 जिस्ड निर्माण काम नगा पालिङ निगम साजगांदगांव की 12-112 , not FANIOT OST संतिम इस्टीमेट व्यनाया N ger MINA (1110) 48:00,000 = 40 2141 (महतासिम खारव कामे) रिया गया जिसेंड डेवल निर्माण हन्द्र दी विडलों में 37,10,000=00 (सेर्नाम खारव दस हजार रुपये) झीर्निम द्वप दे रबीहर छिया गया) प्रकार खेले. उपरोकर साही भी RAN TATAT 55 450 3 SIKOT Par entria do alos 16.03.2019

Tap-3 9713 (02) 3 4741005 2 à को स्वीहर करते ही अनुशासा 213 21121 051 की 1 रहे की दार ने दोरा है। 7750 q. 3 31201 2000 872101 MEDIL 91 50,00,000 = 40 (4-418) all 29 N212121 (744) *ञारी* 31R 3114243 ET 261 रादा की स्वीडी मगत पालिड 1-1 187 17 3 42-417 21127 DI 29187 051 E12 3 3732141 251 -g והות (ii) महाविद्यालय में व्योध गार्गविद्यों को आन बोहल 360 3 लिए अहाविष्यालय हरू Plagianison Software 34 363 हेन 2,00,000=00 ( या लाख रन्यय)का उन्ह्य 313211 र्मेंडर फाउं की आयुंगला 300 SOFTWARE 31 52 Falaz होगा ( क्यांजी के कुत्र मा काबिड होर्ड की प्रायाम की कारुगरिन आवर भेर erst PRINCIPAL Autonomous Exams GOVT. DIGVIJAY COLLEGE GOVT. DIGVIJAY COLLEGE RAJNAI DGAON (C.G.) RAJNANDGAON (C.G.)

4717 8/12/2022 8/12/2022 01-2021111 42/81 DIU 2112मी निमाग की (ash yonce 650 6 on line 2249 DIAL निम् - 294/1 34/20 20-J St. Given 3122 - Hule 2) 21 nat anzai han Virtual Present. SI Ena Hud शी गोर्ड मिषाय डा - एम- जे उरे any 2+21-4 On line by's act 51. 223en mui 1245 Virtual Present. डा. एय. मोटल Vistual Resent ST. SHIZ. Y-1 DIE Vistur Present रामी निजाम में जेंहड में महाविद्यालय Sto Bo Pero ZIDI OF OTAT AM 3171920 obteat बिया गया ताय यात् विज्ञत वर्ष do 414 41 20 2912 UST 3134159 93-1141 21217 Nal and Ron 051 अनुमोर्ग कराया गया स्मी सदस्यां को ad -16 2012-23 7 4123 994994 He (CBCS/LOCA 2 INEP2020 3 (iaiel A JIAGIER) ally दीन वाले कार्य